जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : कमल राज सिंघवी, आर.एच.जे.एस.

(1) आपराधिक अपील संख्या 50/2006

सलमान खां पुत्र सलीम खां जाति मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी-3 गैलेक्सी अपार्टमेण्ट, बी.जे. रोड, बेण्ड स्टेण्ड, बान्द्रा, मुम्बई-50

.... अपीलार्थी/अभियुक्त

- बनाम -

राजस्थान राज्य .....प्रत्यर्थी

(2) आपराधिक अपील संख्या 72/2006

गोरधनसिंह पुत्र माधोसिंह निवासी हथुण्डी मथानिया पुलिस थाना, खेड़ापा, जिला जोधपुर।

.... अपीलार्थी/अभियुक्त

- बनाम -

राजस्थान राज्य .....प्रत्यर्थी

फौजदारी अपीलें विरूद्ध निर्णय दिनांक 10-04-2006, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 206/99 सरकार बनाम सलमान खां वगैरा में पारित किया।

उपस्थित :

1- श्री एस.आर. बाजवा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री हस्तीमल सारस्वत, अधिवक्ता, वास्ते अपीलार्थी सलमान खां।

2- श्री एन एस भाटी, अधिवक्ता, वास्ते अपीलार्थी गोरधनसिंह।

3- श्री पोकरराम विश्नोई, लोक अभियोजक, वास्ते राज्य।

:: निर्णय :: दिनांक 24-08-2007

1- अपीलार्थी सलमान खा ं द्वारा प्रस्त ुत अपील स ंख्या 50/2006 एवं अपीलार्थी गोरधनसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 72/2006 विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर द्वारा आपराधिक प्रकरण स ंख्या 206/1999 सरकार बनाम सलमान खा ं वग ैरा म ें दिना ंक 10-04-2006 को पारित निर्ण य से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी सलमान खां को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वन्य जीव स ंरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत दोषी ठहराकर पांच वर्ष के साधारण कारावास एवं 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड का संदाय न करने पर तीन माह के साधारण कारावास स े दण्डित किया गया। अभियुक्त अपीलार्थी गोरधनसिंह को वन्य जीव स ंरक्षण अधिनियम की धारा 51 सपठित धारा 52 के तहत दोषी ठहराया जाकर एक वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड का संदाय न करने की स्थिति में तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। दोनों अपीलार्थीगण द्वारा एक ही निर्णय के विरूद्ध अलग-अलग अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। अतः इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस निर्णय से किया जा रहा है।

2- पुलिस थाना , मथानिया जिला जोधपर द्वारा अपीलार्थीगण व अन्य अभियुक्तगण द ुष्यन्तसिंह, प्रतापसिंह, ओम ज ी, तुलाजी आंग्र े के विरूद्ध धारा 143,144,149 भारतीय दण्ड स ंहिता, धारा 9,39,51,52 वन्य जीव स ंरक्षण अधिनियम एवं धारा 27 आयुध अधिनियम सपठित धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट , प्रथम वर्ग , ओसियां के न्यायालय म ें प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर द्वारा किया गया।

3- अभियोजन कहानी के अन ुसार दिना ंक 11-10-1998 को वन्य जीव प्रतिपालक, जोधपुर ने एक लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर जोधपुर के

समक्ष प्रस्तुत कर दर्शाया कि दिनांक 01 व 02-10-1998 की मध्य की रात्रि में कुछ व्यक्तियों द्वारा कृष्ण मृगों का अवैध शिकार किया गया। इस संबंध में वन विभाग में प्रथम सूचना संख्या 93(26)/02-10-98 में दर्ज की गई। इस प्रकरण की जांच के दौरान श्री हरीश दुलानी ने बताया कि दिनांक 28-09-98 को मथानिया की सरहद में घोड़ा फार्म से करीब सात किलोमीटर दूरी पर सलमान खां, दुष्यन्त प्रताप जी, ओम जी, दिनेश, एक अधगंजा व्यक्ति व एक अन्य व्यक्ति, जिसे फार्म हाउस से साथ लिया था, ने हिरणों का अवैध शिकार गन का प्रयोग कर किया है। कई अभियुक्तगण अन्य राज्यों के हैं। अपराध में काम में लिये गये हथियार व अन्य सबूत बरामद करने हैं। अतः विस्तृत अनुसंधान अपेक्षित होने से मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करें। इस प्रार्थना पर अपराध संख्या 163/11-10-98 अन्तर्गत धारा 147,148,149 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 3,39,51,52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं धारा 27 आयुध अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

4- अनुसंधान के दौरान गवाहन के बयान लिये गये। गवाह हरीश दुलानी की निशादेही से घोड़ा फार्म हाउस, मथानिया, जहाँ पर मुकदमा हाजा के शिकार किये गये, वध किये गये हिरण को साफ किया गया, वहां से खून आलूदा मिट्टी व नमूना मिट्टी कब्जा पुलिस लिया गया। वध किये गये हिरण की खाल, जो घोड़ा फार्म में ही फैंकी गई थी, जहाँ से गोरधनसिंह की निशादेही से बाल व पूंछ का पिछला सिरा जब्त किया गया। अभियुक्त गोरधनसिंह की निशादेही से, घटनास्थल जहां अभियुक्तगण ने हिरण का शिकार किया व वध किया, उस स्थान से खून आलुदा मिट्टी व नमूना मिट्टी, बाल जब्त किये गये। घटनास्थल के नक्शे मौके बनाये, मौके मुआयने किये। जिप्सी के टायरों के मोल्ड उठाये। सभी स्थानों की फोटोग्राफी करवाई गई। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को गिरफ्तार किया। दौराने अनुसंधान अन्य मुकदमा संख्या 162/98 थाना, मथानिया का वजह सबूत चाकू अभियुक्त सलमान खां की तरफ से बरामद किया, वह चाकू हिरण वध करने में इस प्रकरण में भी काम में लिया जाना बताया गया। मौके से इकट्ठे किये गये नमूना मिट्टी, खून आलुदा मिट्टी, बाल

आदि एफएसएल में परीक्षण हेतु भिजवाये गये। मौके से उठाई गई खून आलुदा मिट्टी में चिंकारा हिरण का खून एफएसएल परीक्षण से पाया गया। बालों को भी एफएसएल परीक्षण हेतु भिजवाया गया। वन विभाग के मुकदमा संख्या 93(26)/98 में जब्तशुदा जिप्सी, जिसे अभियुक्तगण द्वारा उपयोग में लिया गया, को एफएसएल भिजवाया गया। इस जिप्सी आर.जे.19-1सी-2201 की मेटिंग पर हिरण का खून पाया गया। जिप्सी का निरीक्षण एफएसएल टीम द्वारा किये जाने पर जिप्सी में बाल व छर्रे पाये गये, जिसे जब्त कर वन विभाग ने कब्जे में लिया था। अभियुक्त सलमान खां के हथियार, जो बाद घटना बम्बई भेज दिये गये थे, बम्बई से लाकर उदय कुमार राघवन ने पेश किये, जो वन विभाग द्वारा जब्त किये गये। वन विभाग ने अनुसंधान के दौरान उम्मेद भवन पैलेस से सलमान खां के कमरे से .22 एयर गन, छर्रे, कैमरा, टेलीस्कोप जब्त किये। एक एयर गन फिल्म स्टार सेफ अली खां के कमरे से भी जब्त की गई। जब्त किये गये हथियारों व छर्रों का परीक्षण वन विभाग ने एफएसएल से करवाया तथा ये हथियार सर्विसेबल व प्रयोग में लाये गये होना पाया गया। वन विभाग के प्रकरण संख्या 93(26)/98 की जांच के दौरान यह बात स्पष्ट पाई गई कि उक्त घटना के शिकार किये गये कृष्ण मृगों को बाद वाका जिप्सी में नहीं डाला जा सकता अर्थात जिप्सी पर पाये गये खून के धब्बे मुकदमा हाजा व अन्य मुकदमा संख्या 162/98 से संबंधित है। वन विभाग से जब्त जिप्सी के नमूना टायरों के मोल्ड उठाये। घटनास्थल से उठाये गये जिप्सी के टायरों के मोल्ड परीक्षण हेतु एफएसएल भिजवाये गये। जिप्सी में पाये गये बाल भी वन विभाग द्वारा एफएसएल भिजवाये गये। अनुसंधान से यह पाया गया कि अभियुक्तगण सलमान खां, दुष्यन्तसिंह, प्रताप जी, ओम जी, तुलाजी आंग्रे, गोरधनसिंह व दिनेश गावरे ने एक साथ मिलकर अवैध मजमा बनाकर हरीश दुलानी की जिप्सी संख्या आर.जे.19-1सी-2201 से सरहद उजलिया भाखर के पास पहुंचकर हिरण का शिकार किया। प्रथम हिरण को एयरगन से फायर कर घायल किया गया, तत्पश्चात् अभियुक्त सलमान खां ने चाकू से उसका गला काटकर वध कर दिया। हिरण को जिप्सी में डालकर घोड़ा फार्म पर लाया गया, जहां दानाराम व दयालसिंह द्वारा उक्त हिरण की खाल उतारकर वध किये गये हिरण को साफ किया

गया। हिरण की खाल अभियुक्त गोरधनसिंह द्वारा घोड़ा फार्म हाउस में फैंक दी गई व अभियुक्तों द्वारा वध हिरण को जोधपुर लाया गया। इस प्रकार अनुसंधान से उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 143,144,149 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 9,39,51,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं धारा 27 आयुध अधिनियम का अपराध बनना पाया जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5- अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां को धारा 143,144,148,149 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 27 आयुध अधिनियम एवं धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपों से आरोपित किया गया। अभियुक्त अपीलार्थी गोरधनसिंह को धारा 143,148,149 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोपों से आरोपित किया गया। दोनों अपीलार्थीगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अन्य अभियुक्तगण को भी भिन्न-भिन्न आरोपों से आरोपित किया गया। अन्य अभियुक्तगण चूंकि दोषमुक्त किये जा चुके हैं, अतः उनका उल्लेख इस निर्णय में किया जाना आवश्यक नहीं है।

6- विद्वान विचारण न्यायालय ने अन्वीक्षा के उपरान्त आक्षेपित निर्णय से अभियुक्त सलमान खां को धारा 143,144,148,149 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के तहत दोषमुक्त किया तथा धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराकर उपरोक्त प्रकार दण्डित किया। अभियुक्त अपीलार्थी गोरधनसिंह को अन्य आरोपों से दोषमुक्त किया गया एवं धारा 51 सपठित धारा 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उपरोक्त प्रकार दोषी ठहराते हुए दण्डित किया गया।

7- अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खान की ओर से प्रस्तुत अपील में दर्शाया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय ने चिंकारा के अवैध शिकार के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधिविरूद्ध

जमाव का सदस्य होते हुए घातक हथियारों से लेस होकर अवैध शिकार कर बलवा कारित करना नहीं माना और न ही चिंकारे की खाल उतारकर उसका मांस पकाकर अवैध शिकार की साक्ष्य का विलोपन करना ही माना तथा न ही आयुध अधिनियम के तहत ही कोई अपराध किया जाना माना है और इस प्रकार अपीलार्थी को अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर शिकार करना न मानकर अकेले अपीलार्थी द्वारा शिकार करने के तथ्य को प्रमाणित माना है, जो संदेहास्पद है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा लगाये गये तमाम आरोप प्रमाणित नहीं माने हैं, इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी मानने में कानूनी व वाकयाती भूल की है। इस अपील के द्वारा यह भी कहा गया कि पी.ड.1 हरीश दुलानी का मुख्य परीक्षण करवाने के बाद जिरह हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस प्रकार जिरह का अवसर नहीं मिलने से धारा 33 साक्ष्य अधिनियम के तहत उसके बयान अपीलार्थी के विरूद्ध नहीं पढ़े जा सकते हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि उक्त गवाह मिल नहीं सकता या एडवर्स पार्टी द्वारा अपने कब्जे में रख लिया हो। इस क्रम में यह भी दर्शाया गया कि उक्त गवाह का मुख्य परीक्षण दिनांक 24-01-2002 को होने के पश्चात् अन्य अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने जिरह की थी, जो पूर्ण नहीं हो सकी थी तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता को जिरह का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ था और न ही उस रोज अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा जिरह का अवसर चाहा गया था। उक्त गवाह दिनांक 20-03-2002 को न्यायालय में आकर बिना बताये चला गया, जिस पर न्यायालय द्वारा गवाह को 350 दण्ड प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिया गया। अपील में अभियोजन पक्ष के इस कथन को गलत होना बताया कि दिनांक 20-03-2002 को 3 पी एम तक उक्त गवाह इंतजार करता रहा। यदि उपस्थित होता तो न्यायालय की आदेशिका में उसका उल्लेख अवश्य होता। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत धारा 33 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रार्थना पत्र दिनांक 22-11-2005 में यह अंकित किया है कि उक्त गवाह के मुख्य परीक्षण के बाद जिरह की एवं अभियुक्तगण के अधिवक्तागण के अचानक आवश्यक कार्य होना बताकर न्यायालय से समय चाहा, जिस कारण जिरह पूरी नहीं हो सकी। यह भी कहा गया कि यदि गवाह अभियोजन

पक्ष को नहीं मिला तो इसके लिये अपीलार्थी को दोषी नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी द्वारा उक्त गवाह को कभी भी कोई धमकी नहीं दी गई है। पुलिस ने गवाह को ढूंढने के लिये आवश्यक कार्यवाही नहीं की है। गवाह के विरूद्ध अभियोजन पक्ष ने धारा 82-83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भी कोई कार्यवाही नहीं की है। उक्त गवाह का जोधपुर में रहने का तथ्य पुलिस की जानकारी में था तथा दिनांक 17-12-2005 को हरीश ने उप-पंजीयक, लूनी के समक्ष उपस्थित होकर सम्पत्ति की रजिस्ट्री भी करवाई है और उक्त गवाह के इन्टरव्यू को जी-न्यूज द्वारा दिनांक 05-04-2006 को प्रसारित किया गया है और समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह का गायब होने का अभियोजन पक्ष का कथन गलत व असत्य है। गवाह ने मुख्य परीक्षण में अपीलार्थी के विरूद्ध ठोक-ठोककर बयान दिये हैं, जिससे भी प्रकट है कि उक्त गवाह को अपीलार्थी का कोई भय नहीं है। उक्त गवाह अपीलार्थी के कब्जे में कभी नहीं रहा। अभियोजन पक्ष ने तामील कुन्निदा की रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं करवाया है और न ही उनके कथन करवाये हैं। अपीलार्थी को हरीश दुलानी से जिरह का अवसर प्राप्त नहीं होने से उसकी साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

इस अपील के द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि गवाह हरीश दुलानी के बयानों को पढ़ा भी जावे तो भी उक्त गवाह की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य नहीं है, क्यों कि उक्त गवाह ने चश्मदीद साक्षी के रूप में साक्ष्य दी है, जबकि जिप्सी मालिक अरूण यादव के बयानों के अनुसार हरीश दुलानी को अभियुक्तगण साथ नहीं रखते थे। इस प्रकार हरीश दुलानी ने चश्मदीद साक्षी न होते हुए जो चश्मदीद साक्ष्य दी है, वह झूठी व बनावटी है। इस गवाह के संबंध में यह भी दर्शाया गया कि उक्त गवाह ने अपने पुलिस बयानों व धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दिये बयानों से हटकर न्यायालय में बयान दिये हैं और विद्वान एडीपी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने अपने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों से इनकार किया है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह के कथन विश्वसनीय नहीं है और विद्वान विचारण न्यायालय ने भी अपने निर्णय के पैरा संख्या 67 में गवाह को जान-बूझकर मिथ्या

साक्ष्य देने वाला एवं इसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय माना है। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी मानने में भारी भूल की है।

अपील में दर्शाया गया है कि हरीश दुलानी से हथियारों की पहचान नहीं करवाई गई है और अपीलार्थी से कोई छुरी या चाकू बरामद नहीं किया है। बल्कि अन्य प्रकरण में जब्त चाकू को इस प्रकरण से जोड़ा गया है, जिसकी गवाह से शिनाख्तगी भी नहीं करवाई है। गवाह जिस स्थान को घटनास्थल बताता है, वह स्थान प्रदर्श पी-1 के अनुसार खाल उतारनेवाली जगह है एवं गवाह गुड़ा फार्म की घटना बताता है, जबकि घटना घोड़ा फार्म की है। इस प्रकार गवाह के बयानों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास है। जिप्सी मालिक पी.ड.5 अरूण यादव के कथनों के संबंध में अपील में दर्शाया गया कि उक्त गवाह के कथनानुसार दिनांक 29-09-98 को जब वह जिप्सी में बैठा तो गाड़ी में न तो बदबू थी और न ही खून के छींटे थे, जिससे भी अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। पी.ड.6 सत्यमणी तिवाड़ी के कथन अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने का उल्लेख करते हुए इस संबंध में कहा गया कि उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी ने इस गवाह को अपना रिवाल्वर चोरी होने की सूचना लूनी में दी थी और पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दिया था, लेकिन अपीलार्थी के कमरे की तलाशी क्यों ली, यह गवाह ने स्पष्ट नहीं किया है। साथ ही यह गवाह सत्यमणी राजेन्द्रसिंह के समक्ष तलाशी लेना कहता है, जबकि पी.ड.30 राजेन्द्रसिंह ने अपने बयानों में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है और इस प्रकार इस गवाह द्वारा कमरे की तलाशी में हथियार पाना बिल्कुल झूठा व मनगढ़न्त है और इसके कथन बनावटी होने से विश्वसनीय नहीं है, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने विश्वास कर भूल की है। गवाह पी.ड.7 रामकिशन के बयानों में भारी विरोधाभास होने से उक्त गवाह के बयान भी विश्वसनीय नहीं है।

पी.ड.8 गोरधनसिंह एवं पी.ड. 16 अंगदलाल की साक्ष्य को भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इन गवाहान ने जिप्सी में बाल मिलने का तथ्य बताया है,

लेकिन प्रदर्श पी-14 में ऐसे बाल पाये गये हों, इसका उल्लेख नहीं है। पी.ड.9 सागरराम की साक्ष्य से जिप्सी के टायरों के मोल्ड लेने का तथ्य स्पष्ट नहीं होता है और इस गवाह के कथनों में विरोधाभास है। पी.ड.12 सुमनेश लिम्बा एवं पी.ड.13 दौलतराम की चाकू बरामदगी के संबंध में साक्ष्य विरोधाभास लिये है। इन गवाहान ने चाकू को नया और उस पर कोई खून नहीं लगा होना बताया है। लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से चाकू को इस प्रकरण में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। इसी प्रकार पी.ड.17 महेन्द्र व्यास की साक्ष्य को भी विश्वसनीय नहीं होना बताते हुए दर्शाया गया है कि यह गवाह एक ही ऐयरगन की जब्ती बाबत् कहता है, जबकि फर्द प्रदर्श पी-21 में दो एयरगन जब्त करने का तथ्य अंकित है और इस गवाह एवं परिवादी ललित बोड़ा के बयानों में अन्तर है। अभियोजन पक्ष द्वारा मालखाना रजिस्टर पेश नहीं किया गया है और पी.ड.18 मानसिंह की साक्ष्य अन्य गवाहान के कथनों से विपरित होने से विश्वसनीय नहीं है।

पी.ड.23 भाखरराम के कथनानुसार इस गवाह को बोराजसिंह ने मोल्ड दिये थे, लेकिन बोराजसिंह इस तथ्य की पुष्टि नहीं करता है और न ही मोल्ड जमा होने के संबंध में मालखाना रजिस्टर पेश हुआ है। पी.ड.26 बोराजसिंह के कथन अन्य गवाहान के कथनों से विपरित होना उल्लेखित करते हुए यह दर्शाया गया कि यह गवाह लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-70 के साथ कोई दस्तावेज पेश नहीं करना कहता है, जबकि अभियोजन कहानी अनुसार हरीश दुलानी के बयान प्रदर्श पी-94 संलग्न किये गये थे, जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। पी.ड.27 विजयदान जिप्सी खुले में खड़ा होना बताता है, जिससे मोल्ड लेने की अहमियत समाप्त हो जाती है एवं पी.ड.29 मदनलाल के अनुसार नमूना मोल्ड ऐतराज के कारण जमा नहीं होने की साक्ष्य भी नमूना सुरक्षित पहुंचने के क्रम को तोड़ देती है।

अपील के द्वारा यह कहा गया है कि पी.ड.34 ललित बोड़ा की साक्ष्य बनावटी है व झूठी है। इस गवाह ने घटना की जानकारी होने के बाद तुरन्त कोई तलाशी नहीं ली है एवं इसका कोई कारण नहीं बताया है। दिनांक 10-10-98 को

श्रवण कुमार द्वारा तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिलने के बाद दिनांक 12-10-98 को ली गई तलाशी में हथियार कैसे मिले। जिप्सी की रीड़िग नोट नहीं करने का कारण गवाह ने नहीं बताया है। इस गवाह ने दिनांक 07-10-98 को जिप्सी निरीक्षण में खून के से धब्बे के अलावा अन्य कुछ नहीं पाना स्वीकार किया है, इस प्रकार दिनांक 12-10-98 को बनाई गई फर्द प्रदर्श पी-20 फर्जी हो जाती है और इस गवाह ने अपनी उपस्थिति नहीं होना बताया है, जबकि पी.ड.17 महेन्द्र व्यास ने उक्त कार्यवाही में ललित बोड़ा का मौजूद होना बताया है। इस गवाह की समस्त साक्ष्य झूठी व बनावटी है।

पी.ड.35 अशोक पाटनी की साक्ष्य त्रूटिपूर्ण एवं विरोधाभास लिये होना अपील में कहा गया है। यह गवाह मौके से मोल्ड उठाने के लिये बोराजसिंह को निर्देश देना कहता है, लेकिन बोराजसिंह इस तथ्य का समर्थन नहीं करता है। मोल्ड जमा कराने का तथ्य भी अविश्वसनीय है। इस गवाह के कथनों को अन्य गवाहान के कथनों के साथ पढ़ने से इस गवाह के कथनों में भारी विरोधाभास उजागर हो जाता है। गवाह मौके पर जाते समय कोई मोतबीर साथ नहीं ले जाना कहता है एवं शाम को 4.30 बजे घटनास्थल हेतु रवाना होना कहता है, उक्त तथ्य अन्य गवाहान द्वारा बताये गये कथनों के विपरित हैं। गवाह ने जिप्सी का निरीक्षण नहीं किया है और न ही इस बिन्दु पर अनुसंधान किया है कि दिनांक 07-10-98 को जिप्सी में बाल व छर्रे नहीं मिलने के बाद दिनांक 12-10-98 को बाल व छर्रे कहां से आ गये। हथियार बरामदगी के बिन्दु पर इस गवाह के कथन विरोधाभास लिये हुए हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज होने के बिन्दु पर भी इस गवाह व ललित बोड़ा की साक्ष्य में अन्तर है। इस प्रकार उक्त गवाह के कथन भी मनगढ़न्त व बेबुनियाद होना कहा गया।

गवाह पी.ड.36 प्रभूसिंह मौके से टायरों के मोल्ड बोराजसिंह के निर्देशन में उठाना कहता है, जबकि बोराजसिंह ने इसका समर्थन नहीं किया है और इस गवाह की पुष्टि किसी अन्य गवाह से नहीं करवाई गई है, जिससे यह गवाह भी विश्वसनीय

नहीं है।

अपील के द्वारा यह भी दर्शाया गया है कि वन विभाग के प्रकरण संख्या 93(26) की जांच के दौरान इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, जो कानून की दृष्टि से प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं मानी जा सकती है और सम्पूर्ण कार्यवाही गैर कानूनी है। प्रदर्श पी-14 फर्द जब्ती जिप्सी में जिस खून का उल्लेख हुआ है, वह इस प्रकरण की घटना से संबंधित था, यह स्पष्ट नहीं हुआ है और घटनास्थल व घोड़ा फार्म हाउस के पास से लिये गये तथाकथित खून का मिलान भी जिप्सी में पाये गये खून से नहीं करवाया गया है। पत्रावली पर इस साक्ष्य का भी अभाव है कि एयरगन/एयर राईफल से चिंकारा का शिकार किया जाना सम्भव हो। अपीलार्थी ने किसी प्रकार की कोई सूचना बरामदगी के संबंध में नहीं दी है और न ही अपीलार्थी की सूचना पर कोई बरामदगी हुई है। अभियोजन कहानी के समर्थन में प्रस्तुत गवाहान के बयानों में एवं बरामदगी की फर्दों आदि के संबंध में भारी विरोधाभास है और अभियोजन कहानी पूर्णतया संदेहास्पद व बनावटी है। इन सब के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन कहानी पर विश्वास कर जिस प्रकार आक्षेपित निर्णय किया है, वह किसी भी प्रकार से विधिसम्मत व उचित नहीं है और अपास्त किये जाने योग्य है।

9- अभियुक्त-अपीलार्थी गोरधनसिंह की ओर से प्रस्तुत अपील में दर्शाया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी गोरधनसिंह को दोषसिद्ध करने में तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अभियोजन पक्ष का मुख्य गवाह हरीश दुलानी अपने मुख्य परीक्षण में अपीलार्थी गोरधनसिंह का नाम नहीं लेता है और न ही यह गवाह गोरधनसिंह को पूर्व से जानता था। अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी की कोई शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं करवाई है। यह गवाह पुलिस द्वारा बताने पर गोरधनसिंह का नाम बताता है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप के प्रमाणीकरण हेतु कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अपीलार्थी की सूचना पर तैयार की गई फर्द जब्ती विश्वसनीय व विरोधाभासी है और उक्त फर्दों का गवाह रामाकिशन पी.डी.7

अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी गोरधनसिंह को दोषसिद्ध करने में विधिक त्रुटि की है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावे।

10- मैंने उभयपक्ष के विद्वान प्रतिनिधियों को सुना है एवं पत्रावली का गहन अध्ययन किया है। मेरा विवेचन निम्न प्रकार है।

11- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क रहा है कि उक्त विधिक प्रावधान के अनुसार न्यायालय केवल उक्त धारा में वर्णित प्राधिकृत व्यक्तियों के परिवाद पर ही अभियुक्तगण के विरूद्ध संज्ञान ले सकता है। इस प्रकरण में उक्त धारा से प्राधिकृत व्यक्तियों ने परिवाद प्रस्तुत नहीं किया है। परिवाद के अभाव में अभियुक्तगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनका तर्क है कि वारण टट्रायल में पुलिस चालान पर अन्वीक्षा के प्रावधानों व परिवाद पर अन्वीक्षा के प्रावधानों में अन्तर है। परिवाद पर अन्वीक्षा के दौरान अभियुक्तगण को साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा के लिये एक से अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि पुलिस चालान पर अन्वीक्षा में साक्षी से प्रतिपरीक्षा का एक ही अवसर मिलता है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 के तहत परिवाद प्रस्तुत नहीं होने से अन्वीक्षा के दौरान अभियुक्तगण को गवाहान से एक से अधिक बार प्रतिपरीक्षा करने के प्राप्त अधिकार का हनन हुआ है। अपने इस तर्क के समर्थन में उन्होंने निम्न नजीरों का सहारा लिया है।

1- 1986(3) Crimes 118
M/S Lachman Singh & Brothers & Ors. Vs The Labour & Enforcement Officer (Central) & Ors.

2- (1983)4 Supreme Court Cases 701
Vishwa Mitter Vs O.P. Poddar & Ors.

3- 1974 CRI.L.J 1121
Hari Kishan Vs The State of Haryana

4- AIR 1971 KERALA 193
State of Kerala Vs V.P. Enadeen

5- (1994)4 Supreme Court Cases 95
State of U.P. Vs Mata Bhikh & Ors.

6- (1972) 2 Supreme Court Cases 680
G. Narasimhan Vs T.V. Chokkappa

7- 1982 CRI.L.J 1020
Babulal & Ors. Vs State of U.P.

8- 1991(3) Crimes 76
Satyendra Kumar Singh Vs State of Bihar

12- उपरोक्त नजीरों के आधार पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण - अभियुक्तगण ने तर्क दिया है कि प्रस्तुत मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः न्यायालय अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों के लिये संज्ञान लेने में ही सक्षम नहीं था। न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर अभियुक्तगण के विरूद्ध बिना सक्षम परिवाद के अन्वीक्षा कर अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिये दोषी ठहराया है। विद्वान विचारण न्यायालय की उपरोक्त समस्त कार्यवाही अवैध व दूषित है।

13- प्रत्यर्थी राज्य के लिये विद्वान लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि वन्य जीव प्रतिपालक, जोधपुर ने दिनांक 11-10-98 को अपर पुलिस अधीक्षक, शहर जोधपुर को एक पत्र लिखकर दर्शाया कि वन विभाग की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 93(26)/02-10-98 की जांच के दौरान उपलब्ध घटनाक्रम पर सूचनायें दर्ज कर

तफ्तीश की जावे। इस परिवाद के द्वारा वन्य जीव प्रतिपालक ने यह भी दर्शाया कि दिनांक 1 व 2 अक्टूबर, 98 की मध्य की रात्रि में कुछ व्यक्तियों द्वारा कृष्ण मृगों का अवैध शिकार किया गया, जिसके संबंध में वन विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 93 (26)/02-10-98 में जांच की जा रही है। इस अपराध में कई व्यक्ति बाहर के राज्यों के हैं। अपराध में काम में लिये गये हथियार व अन्य सबूत बरामद करने हैं। विस्तृत अनुसंधान अपेक्षित है। अतः मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करने की कृपा करें। इस सूचना पर पुलिस ने धारा 147,148,149 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 9,39,51,52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 व धारा 27 आयुध अधिनियम के अपराध घटित होना पाते हुए उक्त धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान प्रारम्भ किया। लोक अभियोजक का तर्क है कि इस मामले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता व आयुध अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधीन अपराध घटना पाया जाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया।

14- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 50 के तहत उपनिरीक्षक या उससे उच्च स्तर का पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों में जांच, अनुसंधान, निरीक्षण, सर्च, सीजर करने की अधिकारिता रखते हैं। अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने राजस्थान राज्य द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 के तहत प्रसारित अधिसूचना संख्या एफ-3(5)8/विविध/8/72 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया है कि राजस्थान राज्य ने इस अधिसूचना के द्वारा रेन्ज फोरेस्ट आफिसर व इससे ऊपर के पद के सभी वन अधिकारियों, डिप्टी चीफ वाईल्ड लाईफ वार्डन व सभी वाईल्ड लाईफ वार्डन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 के तहत परिवाद प्रस्तुत करने की शक्तियाँ दी हैं। अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन नियम, 1977 के नियम 42 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया है कि इन नियमों से भी यह उपाबंध किया गया है कि इन नियमों में दर्शाये गये व्यक्ति ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 के तहत परिवाद प्रस्तुत कर

सकते हैं। नियम 42(C) के तहत उपनिरीक्षक व उससे ऊपर के पद के पुलिस अधिकारी को भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 के तहत परिवाद प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत किया हुआ है, लेकिन इस मामले में जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि परिवाद प्रस्तुत नहीं हुआ है, बल्कि पुलिस द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15- "M/S Lachman Singh" के मामले में माननीय आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने फैक्ट्रीज एक्ट व श्रम अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया था कि Labour & Enforcement Officer (Central) को अभियोजन की ओर से परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। केवल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम निरीक्षक को ही ऐसा करने की शक्ति प्राप्त थी। उक्त मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत नहीं किये जाने से माननीय आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा परिवाद खारिज किया गया है।

16- "Vishwa Mitter" के मामले में Trade and Merchandise marks Act, 1958 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि जहाँ कोई विशेष विधि संज्ञान लेने के लिये कोई विशेष प्रावधान करती है, वहाँ मजिस्ट्रेट को ऐसी विशेष योग्यतायें, जो अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई हैं, के अनुसार ही संज्ञान लेने की अधिकारिता है।

17- "Hari Kishan" के मामले में Telegraph Wires (unlawful possession) Act के तहत विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही परिवाद प्रस्तुत करने पर संज्ञान लिया जा सकता था, ऐसा माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है।

18- "State of Kerala Vs V.P. Enadeen" के मामले में माननीय केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह अवधारित किया है कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के

तहत केवल सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर ही मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता एवं ऐसे मामले में, जहाँ परिवाद सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, न्यायालय ऐसे मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं ठहरा सकता और न ही उसे दोषमुक्त ही कर सकता है।

19- "State of U.P. Vs Mata Bhikh & Ors" मामले में माननीय उच्चतम ने यह अवधारित किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1) (a) के तहत न्यायालय सक्षम लोकसेवक के लिखित परिवाद के अभाव में मामले का संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है।

20- "G. Narasimhan Vs T.V. Chokkappa" के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के तहत केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही परिवाद प्रस्तुत कर सकता है।

21- "Babulal" के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 11 की व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया है कि मजिस्ट्रेट उक्त अधिनियम की धारा 3/7 के तहत बिना अभियोजन स्वीकृति के संज्ञान नहीं ले सकता। इसी प्रकार "Satyendra Kumar" के मामले में माननीय पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत संज्ञान लिये जाने के पहले यह दर्शाना आवश्यक है कि अभियोजन के लिये संस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। संस्वीकृति के अभाव में अभियोजन नहीं चल सकता।

22- "Vishwa Mitter" के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 की व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया है कि भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराधों के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 4(1) के तहत

दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत मामले का अनुसंधान, जांच व अन्वीक्षा की जावेगी एवं भारतीय दण्ड संहिता से भिन्न अधिनियम के तहत अपराधों के लिये यदि ऐसे अधिनियम के तहत कोई विशेष प्रावधान किये गये हैं तो उन प्रावधानों के तहत अनुसंधान, जांच व अन्वीक्षा की जावेगी, अन्यथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार ही अनुसंधान, जांच व अन्वीक्षा की जावेगी।

23- विद्वान लोक अभियोजक ने AIR 2002 Supreme Court 1691 Motilal Vs CBI नजीर के आधार पर तर्क दिया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 50 की व्याख्या करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि पुलिस अधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत अनुसंधान करने की शक्ति है एवं ऐसे अनुसंधान के दौरान वे लोग निरीक्षण, तलाशी व जब्ती की कार्यवाही कर सकते हैं। इस प्रतिपादन में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 की व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया है कि सीबीआई को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर मामले के अनुसंधान की शक्तियाँ प्राप्त थीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोतीलाल के मामले में यह अवधारित किया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 50 अपने आप में सम्पूर्ण संहिता (Code) नहीं है। उक्त अधिनियम में दण्ड प्रक्रिया संहिता से विरोधाभासी जो प्रावधान दिये गये हैं, उक्त प्रावधान प्रभावी हैं, लेकिन जहाँ ऐसे प्रावधान नहीं है, वहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते हैं।

24- AIR 1963 RAJASTHAN 98 The State Vs Salu & Ors. नजीर के आधार पर विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह अवधारित किया है कि प्राईवेट परिवाद पर प्रोसेस जारी करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस चालान पर संज्ञान लिये जाने में किसी प्रकार की अवैधता नहीं है।

25- 2007(1) RCR (Criminal) 592 Bimla Gupta Vs State (Delhi) प्रतिपादन में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया गया है कि उक्त अधिनियम के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन साथ-ही-साथ विद्युत अधिनियम की धारा 135 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने को वर्जित नहीं करती है।

26- इन नजीरों के आधार पर विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में पुलिस के समक्ष जो परिवाद वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस परिवाद के आधार पर पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत भी अपराध घटित होना पाया था। ऐसे मामले में, जहाँ भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर कोई अपराध घटित होता है एवं भारतीय दण्ड संहिता से भिन्न अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी ऐसे संव्यवहार में जहाँ कोई अपराध घटित होता है, वहाँ दोनों प्रकार के अपराधों की अन्वीक्षा के लिये पुलिस चालान के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अन्वीक्षा की जा सकती है, ऐसा विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है।

27- विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी व एक अन्य अभियुक्त द्वारा इस आशय का विवाद उठाया गया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर ही न्यायालय संज्ञान ले सकता है। इसके अभाव में न्यायालय अभियुक्तगण को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत आरोप से आरोपित नहीं कर सकता। इस विवाद को विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश दिनांक 15-12-2000 के द्वारा निपटाया एवं पक्षकारान को सुनने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 50 व 55 की व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया कि न्यायालय को अधिनियम की धारा 50 व 55 को साथ-साथ पढ़ना होगा और उनके अनुसार यह निर्धारित करना

होगा कि पुलिस, चार्जशीट प्रस्तुत करने की अधिकारिता रखती है अथवा नहीं। अधिनियम की धारा 50 पुलिस के उपनिरीक्षक को अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के संबंध में किसी परिसर में प्रवेश करने, सर्च करने एवं अपराधी को बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की अधिकारिता देती है एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(C) में यह प्रावधान किया गया है कि संज्ञेय अपराधों में सम्मिलित व्यक्ति को पुलिस बिना किसी वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है। इस आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अधिनियम के अन्तर्गत घटित हुए अपराध को संज्ञेय अपराध माना एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय अपराध में अनुसंधान करने का क्षेत्राधिकार होना माना। 1984 बीबीसीजे 183 प्रतिपादन के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने यह माना कि थानाधिकारी, मथानिया को अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया भिन्न-भिन्न अधिनियमों के तहत अपराध करना पाया जाने पर चार्जशीट प्रस्तुत करने की अधिकारिता थी। अभियुक्तगण की उपरोक्त आपत्ति को अस्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 15-12-2000 के आदेश से यह निर्णीत किया कि परिवाद से भिन्न पुलिस रिपोर्ट पर भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है एवं साथ-ही-साथ विद्वान विचारण न्यायालय ने यह आदेशित किया कि अपीलार्थी-अभियुक्त सलमान खां को धारा 143,144,148,201/149 भारतीय दण्ड संहिता, साथ-ही-साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 51 व आयुध अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत तथा अभियुक्त-अपीलार्थी गोरधनसिंह व शेष अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143,148,201/149 तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 51 या 51/149 के तहत आरोपों से आरोपित किया जावे।

28- विद्वान विचारण न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर निगरानी न्यायालय के समक्ष दो भिन्न-भिन्न निगरानियाँ प्रस्तुत की गईं। प्रथम निगरानी प्रतापसिंह व तुला जी आंग्रे अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत की गई, जो अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-3, जोधपुर द्वारा दिनांक 11-09-2001 को दाण्डित निगरानी

संख्या 35/2001 के रूप में निर्णीत की गई। इस निगरानी के द्वारा विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-3, जोधपुर ने विद्वान विचारण न्यायालय के दिनांक 15-12-2000 के आदेश में कोई तात्विक अवैधता, अशुद्धता या अनियमितता नहीं होना पाया, न ही उक्त आदेश में क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि होना ही पाया।

29- अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान ने भी दिनांक 15-12-2000 के विद्वान विचारण न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश के विरूद्ध एक निगरानी प्रस्तुत की। यह निगरानी अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा दिनांक 24-04-2002 को दाण्डिक निगरानी संख्या 18/2002 के रूप में निर्णीत की गई। इस निर्णय दिनांक 24-04-2002 के द्वारा भी विद्वान सेशन न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 15-12-2000 में किसी प्रकार की कोई अवैधता, विधिक त्रुटि नहीं पाई, न ही उक्त आदेश क्षेत्राधिकार से परे होना पाया।

30- दिनांक 15-12-2000 का विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश, जिसके तहत अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा परिवाद से भिन्न मामले में संज्ञान लिये जाने के संबंध में आक्षेप उठाया, का निस्तारण करते हुए रिवीजनल न्यायालयों द्वारा पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विरूद्ध लिये गये संज्ञान को उचित माना। उपरोक्त विधिक स्थिति के होते हुए इस अपील के दौरान उक्त तथ्य को पुनः चुनौती देने के लिये मेरी विनम्र राय में अब अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण स्वतंत्र नहीं हैं। दिनांक 15-12-2000 का विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश रिवीजनल न्यायालय के आदेश दिनांक 11-09-2001 व 24-04-2002 के अनुसार अन्तिम हो चुका है।

31- उपरोक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर यदि कुछ समय के लिये यह माने कि अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को उक्त बिन्दु को अपील के द्वारा चुनौती देने का अधिकार है?

32- इस प्रश्न के उत्तर में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात् भारतीय दण्ड संहिता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं व आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण व अन्य व्यक्तियों द्वारा अपराध करना पाया। उक्त परिस्थितियों में जब पुलिस, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 50 व 55 के प्रावधान के अनुसार अनुसंधान करने में सक्षम थी, ने अनुसंधान किया एवं अनुसंधान के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्तगण ने भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं तथा आयुध अधिनियम के तहत अपराध किया है। ऐसी स्थिति में क्या पुलिस को अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता व आयुध अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये अभियोग पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था? एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए था? मेरी विनम्र राय में विधि का ऐसा आशय नहीं हो सकता कि एक ही संव्यवहार में भिन्न-भिन्न अधिनियमों के तहत किये गये अपराधों के लिये अलग-अलग अभियोजन किया जावे। विधि वादों की बहुता को रोकती है।

33- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 भी यह उपाबंध लिये हुए है कि यदि किसी मामले में परिवाद पर संज्ञान लिया जाता है एवं उसी मामले में पुलिस द्वारा चालान भी प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय अन्वीक्षा के दौरान पुलिस चालान की प्रक्रिया अपनायेगा। निर्विवाद रूप से इस प्रकरण में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 के तहत उक्त अधिनियम के उल्लंघन के लिये परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि उक्त अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता एवं आयुध अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का मामला बनना पाये जाने पर ऐसे सभी अपराधों के लिये संयुक्त रूप से एक चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के तहत दो अलग-अलग प्रकार प्रस्तुत होनेवाले प्रकरणों अर्थात् परिवाद पर प्रस्तुत होनेवाले प्रकरण व पुलिस चालान पर प्रस्तुत होनेवाले प्रकरण में पुलिस चालान की प्रक्रिया ही अपनाई जानी है तो निर्विवाद रूप

से यह कहा जा सकता है कि इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात् घटित होनेवाले संज्ञेय अपराधों के लिये यदि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत चालान प्रस्तुत किया है एवं ऐसे अभियोग पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने में कोई विधिक व तथ्यात्मक भूल नहीं हुई है।

34- यहाँ यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190, प्राईवेट परिवाद व पुलिस चालान पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की अधिकारिता के संबंध में प्रावधान लिये हुए है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 व 461 का उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 में वर्णित अनियमितताओं से अन्वीक्षा की कार्यवाही दूषित नहीं होगी। धारा 461 में वर्णित अनियमिततायें अन्वीक्षा की कार्यवाही को दूषित करती है। इन दोनों ही धाराओं की विभिन्न प्रविष्टियों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि जहाँ भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के साथ-साथ एक ही संव्यवहार में अन्य अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जावे, वहां भिन्न-भिन्न अधिनियम के उल्लंघनों के लिये पुलिस चालान की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती या ऐसी प्रक्रिया अपनाकर की गई अन्वीक्षा अवैध व शून्य है।

35- उपरोक्त समस्त विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि इस प्रकरण में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 के तहत परिवाद प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थीगण की अन्वीक्षा शून्य हो गई।

36- अपीलार्थी-अभियुक्त सलमान के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इस प्रकरण में पुलिस द्वारा कहा गया महत्वपूर्ण गवाह हरीश दुलानी सहअपराधी (Accomplice) है एवं मात्र सहअपराधी की अपूर्ण साक्ष्य के आधार पर, जो कि अन्य किसी साक्षी से सम्पोषित नहीं है, अभियुक्तगण की दोषसिद्धी नहीं की जा सकती। अपने इस तर्क के समर्थन में उन्होंने (1995)3 Supreme Court Cases 351 M.O.

Shamsudhin Vs State of Kerala नजीर का सहारा लिया है। उक्त मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत देनेवाले व्यक्ति को सहअपराधी होने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया है कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति, जो भ्रष्टाचारी को पकड़वाना चाहता है एवं उसे रिश्वत देकर ट्रेप करवाता है, वह सहअपराधी नहीं माना जा सकता है, लेकिन प्रज्ञा का यह नियम है कि ऐसे व्यक्ति की साक्ष्य को सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए।

37- प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष यह कहानी लेकर आया है कि पी.ड.1 हरीश दुलानी उस जीप का चालक था, जो फिल्म यूनिट के भ्रमण के लिये उपलब्ध करवाई गई थी। पी.ड.1 हरीश दुलानी जीप चालक होने के नाते अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण का किस प्रकार सहअपराधी हुआ, यह अपीलार्थीगण ने तर्कों के दौरान नहीं दर्शाया है। मेरी विनम्र राय में तथ्यों की भिन्नता के कारण "Shamsudhin" प्रतिपादन अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण की किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करता है।

38- अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने पी.ड.1 हरीश दुलानी की साक्ष्य के संबंध में यह तर्क दिया है कि अपीलार्थीगण को हरीश दुलानी नामक गवाह से प्रतिपरीक्षा करने के लिये अवसर व अधिकार उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण का कथन है कि उक्त साक्षी पी.ड.1 हरीश दुलानी का बयान अधूरा रहा है। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष ने उससे प्रतिपरीक्षा कराने के लिये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह की साक्ष्य को अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं पढ़ा जा सकता। अपने इस तर्क के समर्थन में अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने (1995) 6 Supreme Court Cases 122 V.M. Mathew Vs V.S. Sharma & Ors., (2004) 4 Supreme Court Cases 236 Sashi Jena & Ors. Vs Khadal Swain & Ors. नजीरों का सहारा लिया है। विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि की भलीभांति व्याख्या करते हुए विभिन्न प्रतिपादनों के आधार पर पी.ड.1 हरीश दुलानी की साक्ष्य को पढ़ने में कोई विधिक व तथ्यात्मक भूल नहीं की

है। गवाह पी.ड.1 हरीश दुलानी को अभियोजन पक्ष ने अपना महत्वपूर्ण गवाह होना कहा है। इस गवाह का मुख्य परीक्षण पी.ड.1 के रूप में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24-01-2002 को हुआ, तत्पश्चात्‌इस गवाह से अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री जगदेवसिंह द्वारा प्रतिपरीक्षा भी की गई। यह प्रतिपरीक्षा दिनांक 24-01-2002 को अधूरी रहना पाया जाता है। गवाह के बयानों के नीचे न्यायालय द्वारा जो नोट अंकित किया गया है, वह इस प्रकार है। "अभिभाषक अभियुक्तगण के अचानक आवश्यक कार्य आ जाने से गवाह से जिरह नहीं हो सकी है, गवाह को आगामी दिनांक हेतु पाबंद किया गया।" इस नोट के साथ गवाह की जिरह स्थगित की गई व गवाह को दिनांक 20-03-2002 के लिये पाबंद किया गया।

39- दिनांक 24-01-2002 को ही गवाह हरीश दुलानी ने न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकट किया कि काफी समय से गिरवरसिंह नामक एक व्यक्ति गवाह को अभियुक्त सलमान के पक्ष में गवाही देने के लिये व्यक्तिगत तौर पर धमकी दे रहा है और गवाह को जान से मारने की धमकी दी है। अतः गिरवरसिंह व सलमान के भय से गवाह के परिवार की जान व माल की सुरक्षा का आदेश दिया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारियों को गवाह हरीश दुलानी को उचित सुरक्षा प्रदान की जाने का आदेश दिया गया। स्थगित दिनांक 20-03-2002 को, जिसके लिये गवाह पी.ड.1 हरीश दुलानी को पाबंद किया गया था, गवाह हरीश दुलानी न्यायालय में उपस्थित आया। उक्त दिनांक को न्यायालय आदेशिका के अवलोकन से विदित होता है कि गवाह हरीश दुलानी बिना न्यायालय की अनुमति के न्यायालय से चला गया, इस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गवाह के विरूद्ध धारा 350 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी किये जाने व गवाह को पुनः 500 रूपये के जमानती वारण्ट से तलब किये जाने का आदेश दिया गया। अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 29-05-2002 को गवाह हरीश दुलानी ने उसके पिता का निधन हो जाने से अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 02-06-2004 को अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण के जमानत मुचलके जब्त किये जाने के लिये व

गवाह हरीश दुलानी को जमानती वारण्ट या गिरफ्तारी वारण्ट से बुलाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी सलमान खां की तरफ से उक्त आवेदन का दिनांक 09-06-2004 को जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् समय-समय पर गवाह हरीश दुलानी को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तलब किया जाता रहा। दिनांक 22-11-2005 को अभियोजन पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र गवाह हरीश दुलानी के नहीं मिलने एवं तामील कुन्निदाओं की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया। अभिलेख से यह भी प्रकट होता है कि गवाह हरीश दुलानी को बुलाने के लिये न्यायालय द्वारा समय-समय पर सम्मन, जमानती वारण्ट आदि जारी किये गये। गवाह को न्यायालय द्वारा दिनांक 21-01-2002, 22-03-2002, 17-04-2002, 31-05-2002, 15-11-2002, 12-12-2002,08-01-2003, 11-02-2003, 24-03-2003, 29-05-2003, 04-08-2003, 19-11-2003, 05-01-2004, 04-12-2004, 07-04-2005, 05-01-2005, 01-03-2005, 10-05-2005, 05-10-2005 के लिये सम्मन्स/वारण्ट्स से तलब किया गया था। संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी उक्त गवाह को प्रस्तुत करने के लिये लिखा गया। गवाह की तामील के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन भी किया जाना विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय से पाया जाता है। उक्त टीम द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट दिनांक 31-05-2004 को पत्रावली पर उपलब्ध करवाई गई। सहायक वन संरक्षक ने भी दिनांक 26-03-2003 को एक रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध करवाई। पुलिस थाना, खाण्डाफलसा द्वारा दिनांक 04-05-2005 व 07-06-2005 को उक्त गवाह के संबंध में दो रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त सभी रिपोर्ट्स से यह प्रकट हुआ कि गवाह दिये गये वर्णित पते पर उपलब्ध नहीं है। पुलिस ने भी गवाह के रिश्तेदारों से गवाह का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस उक्त गवाह को तलाश करने में असफल रही।

40- विचारण न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट होता है कि गवाह हरीश दुलानी की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त व सम्पूर्ण प्रयास किये गये एवं न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त गवाह मिल नहीं रहा है।

41- इसी मध्य दिनांक 02-06-2004 को विद्वान लोक अभियोजक द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर यह दर्शाया गया था कि दिनांक 24-01-2002 को पी.ड.1 हरीश दुलानी, जो उक्त मुकदमे का चश्मदीद व महत्वपूर्ण गवाह है, का मुख्य परीक्षण न्यायालय में लेखबद्ध किया गया, गवाह से जिरह पूरी नहीं हो सकी क्योंकि अभियुक्तगण के अधिवक्तागण ने समय चाहा। गवाह को दिनांक 20-03-2002 के लिये पाबंद किया गया। दिनांक 20-03-2002 को गवाह हरीश दुलानी न्यायालय में उपस्थित आया तथा वह 3 बजे तक न्यायालय में उपस्थित रहा, उसके पश्चात् बिना किसी को सूचित किये एकदम अदालत से अनुपस्थित हो गया। इस आवेदन के द्वारा अभियोजन पक्ष ने यह भी दर्शाया कि हरीश दुलानी ने दिनांक 24-01-2002 को न्यायालय के समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया था कि उसे उक्त प्रकरण में सलमान खां आदि की ओर से उनके हक में बयान नहीं देने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पर उसने अपनी सुरक्षा की मांग की। गवाह हरीश दुलानी को विभिन्न स्तरों पर तलब करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वह उपलब्ध नहीं हो रहा है। थाना, मथानिया की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि गवाह हरीश दुलानी अभियुक्त ओमसिंह के कब्जे में है। पुलिस द्वारा की गई अलग-अलग रिपोर्ट्स व हरीश दुलानी के आवेदन दिनांक 24-01-2002 के क्रम में गवाह के अचानक गायब हो जाने से अभियोजन पक्ष ने यह आक्षेप लगाया कि अभियुक्तगण उसे अपने पक्ष में गवाही देने के लिये उसे बाध्य कर रहे हैं और उसे न्यायालय में उपस्थित भी होने नहीं दे रहे हैं, इसलिये अभियुक्तगण के जमानत मुचलके जब्त किये जावें। यह आवेदन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया।

42- अन्वीक्षा के दौरान ही अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 22-11-2005 को एक आवेदन विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाह की तलबी के लिये किये गये प्रयत्नों का उक्त आवेदन में उल्लेख करते हुए न्यायालय से प्रार्थना की गई कि गवाह हरीश दुलानी की साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत साक्ष्य में पढ़ने का आदेश दिया जावे तथा उक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया जावे। इस आवेदन का अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां की ओर से विस्तृत जवाब दिनांक 28-11-2005 को दिया गया। इस आवेदन पर पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28-11-2005 को एक विस्तृत आदेश पारित कर यह निर्णीत किया गया कि हरीश दुलानी की उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया जा सकता है। इस गवाह की अनुपलब्धता के संबंध में तामील कुन्निदाओं की साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं होना भी विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णीत किया। दिनांक 22-11-2005 का अभियोजन प्रार्थना पत्र निर्णीत करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि तामील कुन्निदाओं की साक्ष्य के अभाव में भी यदि उक्त न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो न्यायालय स्वतः ही विधिक उपधारणा कर सकता है कि गवाह नहीं मिल रहा है।

43- विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 28-11-2005 को अभियुक्त सलमान खां द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में निगरानी संख्या 1758/05 के द्वारा चुनौती दी गई, यह निगरानी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19-01-2006 को खारिज की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपीलार्थी सलमान की एसएलपी क्रिमीनल 929/06 दिनांक 09-03-2006 को खारिज की। इस प्रकार विचारण मजिस्ट्रेट का आदेश दिनांक 28-11-2005 अन्तिम हो गया है एवं अब उस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।

44- विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में विस्तृत व्याख्या करते हुए गवाह हरीश दुलानी के बयानों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत साक्ष्य में पढ़ने योग्य माना है। इस संबंध में आवश्यक तथ्य का यहाँ अंकन आवश्यक है।

45- दिनांक 24-01-2002 को गवाह हरीश दुलानी साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है एवं उसके मुख्य बयान लेखबद्ध किये जाने के पश्चात् अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री जगदेवसिंह ने उक्त गवाह से प्रतिपरीक्षण भी किया है।

अधिवक्तागण अभियुक्तगण के आवश्यक काम होने से उक्त गवाह की जिरह डैफर करने की प्रार्थना की गई एवं गवाह हरीश दुलानी दिनांक 20-03-2002 के लिये पाबंद किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार स्थगित दिनांक को गवाह हरीश दुलानी 3 बजे तक न्यायालय में उपस्थित रहा, लेकिन अधिवक्तागण अभियुक्तगण ने गवाह हरीश दुलानी से जिरह नहीं की। विचारण न्यायालय ने तथ्यों व विधि की व्याख्या करते हुए यह अवधारित किया है कि दिनांक 20-03-2002 को गवाह हरीश दुलानी 3 बजे तक न्यायलय में उपस्थित था। अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को उक्त गवाह से प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार व अवसर प्राप्त था एवं 3 बजे तक अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के अधिवक्तागण न्यायालय में उक्त गवाह से जिरह करने के लिये उपस्थित नहीं आये। अतः उक्त गवाह से जिरह नहीं हो सकी। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी टिप्पणी की है कि अपीलार्थी सलमान खां के अधिवक्ता ने न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन से यह दर्शाया कि वे 3 बजे के बाद न्यायालय में आये थे एवं उनके आने से पहले ही गवाह न्यायालय से चला गया, इस पर न्यायालय द्वारा गवाह हरीश दुलानी को धारा 350 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस दिये जाने का आदेश दिया गया।

46- विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 76 पर निम्न प्रकार अभिव्यक्ति की है। "सबसे अति महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह गवाह हरीश दुलानी उस रोज 3.00 पी एम बजे तक न्यायालय में मौजूद रहा, इसकी पुष्टि स्वयं अभियुक्त के ही एक लिखित दस्तावेज से पूरी तरह साबित होती है, यह दस्तावेज उस प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब है, जो कि मुलजिम सलमान खां ने अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र दिनांक 02-06-2004 बाबत् अभियुक्तगण के जमानत मुचलके जब्त करने के जवाब में इस न्यायालय में दिनांक 09-06-2004 को पेश किया है। अभियोजन के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 02-06-2004 की मद संख्या 2 में वर्णित है कि गवाह हरीश दुलानी पी.ड.1 दिनांक 20-03-2002 को न्यायालय में उपस्थित आया तथा अदालत में 3 बजे तक उपस्थित रहा तथा उसके पश्चात् बिना किसी को सूचित किये एकदम अदालत से अनुपस्थित हो गया। इस प्रार्थना पत्र के लिखित जवाब दिनांक

09-06-2004 की मद संख्या 2 में मुलजिम सलमान खां ने वर्णित किया है कि दिनांक 20-03-2002 की आदेशिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गवाह हरीश दुलानी पी.ड.1 दिनांक 20-03-2002 को न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा अदालत में 3 बजे तक उपस्थित रहा, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पश्चात् वह बिना किसी को सूचित किये एकदम अदालत से अनुपस्थित हो गया।"

47- इस अभिव्यक्ति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वयं अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां लिखित में यह स्वीकार करता है कि गवाह हरीश दुलानी दिनांक 20-03-2002 को 3 पीएम तक न्यायालय में उपस्थित रहा था एवं उस दिन 3 बजे तक अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता गवाह हरीश से जिरह करने के लिये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जबकि अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को गवाह से जिरह करने का अधिकार व अवसर विद्यमान था। बशर्ते कि वे गवाह की मौजूदगी में आ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः विचारण न्यायालय ने गवाह हरीश दुलानी की साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के क्रम में साक्ष्य में ग्राह्य माना।

48- माननीय उच्चतम न्यायालय ने V.M. Mathew व Sashi Jena के मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 की व्याख्या करते हुए यह निर्णीत किया है कि यदि अभियुक्तगण को गवाह से प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार व अवसर प्राप्त हुआ एवं उक्त गवाह से अवसर व अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त भी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई, वहां उक्त गवाह की साक्ष्य को पढ़ा जाएगा, लेकिन जहाँ अवसर व अधिकार ही प्राप्त नहीं हुआ, वहाँ ऐसे गवाह की साक्ष्य को नहीं पढ़ा जा सकता।

49- प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को पी.ड.1 हरीश दुलानी से प्रतिपरीक्षा करने के लिये अधिकार व अवसर उपलब्ध हुआ अथवा नहीं, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है। अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थीगण के अधिवक्तागण द्वारा इस संबंध में निर्णय में लिखे तथ्यों, जिनका ऊपर उल्लेख किया है, का कोई खण्डन

नहीं किया है, न ही उनकी तरफ से यह ही कहा गया है कि न्यायालय ने उक्त तथ्य बिना किसी युक्तिसंगत आधार के निर्णय में अंकित किये हैं।

50- विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के अधिवक्तागण दिनांक 20-03-2002 को 3 बजे तक गवाह हरीश दुलानी, जो कि न्यायालय में उपस्थित था, से प्रतिपरीक्षा करने नहीं पहुंचे, तथ्य अपीलार्थी-अभियुक्त सलमान खां द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब दिनांक 09-06-2004 की मद संख्या 2 से प्रमाणित होता है। दिनांक 24-01-2002 को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदेवसिंह ने पी.ड.1 हरीश दुलानी से प्रतिपरीक्षा की। दिनांक 24-01-2002 को हरीश दुलानी के बयानों के नीचे लिखे नोट से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के अधिवक्तागण ने आवश्यक कार्य आ जाने से प्रतिपरीक्षा हेतु समय चाहा। श्री जगदेवसिंह अधिवक्ता ने अपनी जिरह लगभग पूरी कर ली, यह तथ्य भी विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है। अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण का कहीं यह कथन नहीं है कि अन्य अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री जगदेवसिंह ने जिरह पूरी नहीं की, इसलिये वह पी.ड.1 हरीश दुलानी से जिरह नहीं कर सकते थे। अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण ने दिनांक 20-03-2002 को हरीश दुलानी से दिनांक 20-03-2002 को जब यह गवाह 3 बजे तक न्यायालय में उपस्थित था, उपस्थित होकर जिरह नहीं की। विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में 3 बजे तक नहीं आना, अपने आप में यह दर्शाने के लिये पर्याप्त है कि अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण उक्त उपस्थित गवाह से जिरह करने के लिये तत्पर नहीं थे। अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण का कहीं ऐसा कथन नहीं है कि उन्होंने न्यायालय से दिनांक 20-03-2002 को इस आशय की सूचना दी हो कि वे 3 बजे के पश्चात् ही पी.ड.1 हरीश दुलानी से जिरह करने के लिये न्यायालय में उपस्थित होंगे। जब न्यायालय में गवाह उपस्थित है तो अभियुक्तगण को चाहिए कि वे न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त गवाह से प्रतिपरीक्षा कर अपने अधिकार का प्रयोग करें, लेकिन इस मामले में जैसा कि विचारण न्यायालय की अभिव्यक्ति रही कि दिनांक 20-03-2002 को अपीलार्थीगण - अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण 3 बजे तक उक्त गवाह से जिरह करने के लिये

न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुए। न्यायालय अनन्त काल तक पक्षकारों को जिरह हेतु उपस्थित होने के लिये इंतजार नहीं कर सकता था। न्यायालय द्वारा आवाजें लगाई जाने पर पक्षकारान को अपने मुकदमें की पैरवी के लिये उपस्थित होना चाहिए। अभियुक्तगण का कहीं यह कथन नहीं है कि न्यायालय ने गवाह के उपस्थित होने के उपरान्त भी उन्हें 3 बजे तक मुकदमें की पैरवी के लिये पुकारा नहीं। 3 बजे तक गवाह न्यायालय में उपस्थित था, तथ्य यह दर्शाता है कि इस प्रकरण में 3 बजे से पहले गवाह से प्रतिपरीक्षा करने के लिये अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण या अभियुक्तगण उपस्थित नहीं हुए। हालाँकि दिनांक 20-03-2002 की आदेशिका इस बारे में स्पष्ट उल्लेख लिये हुए नहीं है कि 3 बजे से पूर्व कब-कब उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण को प्रतिपरीक्षा के लिये आहूत किया गया, लेकिन न्यायालयों की कार्यप्रणाली से यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायालय पक्षकारों के उपस्थित नहीं आने पर पक्षकारों का इंतजार करता रहता है।

51- इस प्रकरण में इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दिनांक 24-01-2002 को ही गवाह हरीश दुलानी ने विशेष रूप से विचारण न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि अभियुक्तगण उसे अपने पक्ष में साक्ष्य देने के लिये विवश कर रहे हैं तथा धमकियाँ दे रहे हैं। उसने न्यायालय से उक्त परिस्थितियों में सुरक्षा की भी मांग की। दिनांक 24-01-2002 का गवाह हरीश दुलानी का उक्त आवेदन जब समग्र तथ्यों के साथ पढ़ा जाता है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 20-03-2002 को गवाह हरीश दुलानी से अभियुक्तगण प्रतिपरीक्षा करने को उत्सुक नहीं थे क्योंकि उस समय तक गवाह हरीश दुलानी अभियुक्तगण के प्रभाव में नहीं आया था। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि जब गवाह न्यायालय के समक्ष 3 बजे तक उपस्थित रहता है एवं न्यायालय का अधिकांश समय उस समय तक पूरा हो चुका होता है, उपस्थित गवाह से प्रतिपरीक्षा करने के लिये संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित न हो।

52- साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत न्यायालय को केवल यह देखना है कि क्या एक गवाह, जिसके बयान लेखबद्ध किये गये हैं, से प्रतिपरीक्षा का अधिकार व अवसर प्रतिपक्ष को उपलब्ध हुआ। यदि ऐसा अधिकार व अवसर प्रतिपक्ष को उपलब्ध था तो निर्विवाद रूप से ऐसे अधिकार व अवसर का प्रयोग नहीं करने पर प्रतिपक्ष यह कहने को स्वतंत्र नहीं रह जाता है कि उसे ऐसे गवाह से प्रतिपरीक्षा करने का अवसर उपलब्ध नहीं करवाया गया।

53- उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत गवाह हरीश दुलानी का बयान साक्ष्य में पढ़ने योग्य माना है, उक्त मत विधिसम्मत है।

54- अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने (2000) 10 Supreme Court Cases 430 Hoffman Andreas Vs Inspector of Customs, Amritsar एवं (1976) 1 Supreme Court Cases 442 Badri Vs State of Rajasthan नजीरों के आधार पर तर्क दिया है कि अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण ने विद्वान विचारण न्यायालय में गवाह को Further Cross Examination हेतु रिकॉल के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन दिनांक 07-04-2006 को प्रस्तुत किया था एवं उक्त प्रतिपादनों के आधार पर गवाह हरीश दुलानी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत पुनः तलब कर प्रतिपरीक्षा करने का अवसर देना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है। अतः अन्वीक्षा की कार्यवाही दूषित हुई है। "Badri Vs State of Rajasthan" के आधार पर उनका यह भी तर्क है कि ऐसे गवाह की साक्ष्य पर, जब तक कि ऐसी साक्ष्य का अन्य साक्ष्य से सम्पोषण न हो जावे, भरोसा नहीं किया जा सकता,

55- अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त अपीलार्थी सलमान खां ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत प्रस्तुत आवेदन के साथ हरीश दुलानी द्वारा अपनी सम्पत्ति के अन्तरण के संबंध में लिखी गई रजिस्ट्री की फोटो प्रतियाँ भी

प्रस्तुत कीं, साथ-ही-साथ हरीश दुलानी द्वारा टीवी को दिया गया साक्षात्कार बाबत् समाचारपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की और कहा कि उक्त गवाह लापता नहीं है। इस आवेदन अपीलार्थी का अभियोजन पक्ष द्वारा विरोध किया गया एवं कहा गया कि अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण का एकमात्र उद्देश्य उक्त प्रकरण में देरीना करना है। साथ-ही-साथ यह भी कहा गया कि उक्त गवाह भी अब अभियुक्तगण के प्रभाव में आ जाना प्रकट होता है। यह भी दर्शाया गया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 28-03-2006 को अन्तिम बहस सुनी जा चुकी है तथा प्रकरण दिनांक 10-04-2006 को निर्णय हेतु नियत है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना यह दर्शाता है कि अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण उक्त प्रकरण को देरीना करना चाहते हैं।

56- अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण का उक्त प्रार्थना पत्र अपने दिनांक 07-04-2006 के विस्तृत आदेश से खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय इस मत का रहा कि जब एक बार प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही हो चुकी है, अन्तिम बहस सुनी जा चुकी है व प्रकरण निर्णय के लिये नियत कर दिया गया है। उक्त परिस्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के प्रावधान उक्त प्रक्रम पर लागू नहीं किये जा सकते।

57- इस आवेदन से अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण ने यह भी दर्शाया कि उक्त गवाह हरीश दुलानी ने अपने मुख्य परीक्षण में अपीलार्थी सलमान खां के विरूद्ध ठोक-ठोक कर बयान दिये हैं, इससे यह माना जाना चाहिए कि उक्त गवाह को अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण से कोई डर व भय नहीं है।

58- विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को पी.ड.1 हरीश दुलानी से प्रतिपरीक्षा करने हेतु पर्याप्त अवसर मिला था एवं अभियुक्तगण को उक्त गवाह से प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार भी था, लेकिन अभियुक्तगण ने यथासमय अपने को उपलब्ध उक्त अधिकार व अवसर का प्रयोग नहीं किया। अतः अब वे यह

कहने को स्वतंत्र नहीं है कि न्याय के लिये उक्त गवाह को पुनः तलब किय जावे। लक्ष्मण बनाम मध्यप्रदेश राज्य 1970 एमपीएलजे 512 के मामले में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार प्रतिपादित किया है कि -

> If the party which desires this additional evidence to come on record itself does not consider his evidence Important, no infirmity is caused in the trial by the refusal of the court to examine him under this section.

59- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत न्यायहित में किसी गवाह को न्यायालय मामले के Just Decision के लिये आहूत व पुनः आहूत कर सकता है, लेकिन किसी पक्ष को अपनी कमियों (laches) को पूरा करने के लिये ऐसा अवसर नहीं दिया जा सकता। उपरोक्त परिस्थितियों में मेरी राय में विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 का आवेदन अस्वीकार करने में कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की है।

60- अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 50(9) की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया है कि इस मामले में वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित पत्र प्रदर्श पी-70 के साथ पी.ड.34 ललित बोड़ा ने एफआईआर संख्या 93(26)/98 में दिनांक 07-10-98 को गवाह हरीश दुलानी का जो बयान लेखबद्ध किया था, वह बयान प्रदर्श पी-94 भी प्रदर्श पी-70 के संलग्न भिजवाया था। अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रदर्श पी-94 बयान हरीश दुलानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 50(9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है क्योंकि ऐसा बयान उक्त प्रावधान के अनुसार जो अभियुक्तगण की मौजूदगी में लिया जावे, वही पश्चातवर्ती अन्वीक्षा के दौरान साक्ष्य में ग्राह्य होगा। उनका तर्क है कि दिनांक 07-10-98 को गवाह हरीश दुलानी का उक्त बयान प्रदर्श पी-94 निर्विवाद रूप से

अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण की उपस्थिति में लेखबद्ध नहीं किया गया। अतः उक्त बयान पश्चातवर्ती अन्वीक्षा के प्रक्रम पर साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता। मेरी विनम्र राय में अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का यह तर्क सारपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 50(9) के तहत कोई ऐसा बयान, जो अभियुक्तगण की अनुपस्थिति में लेखबद्ध किया गया है, पश्चातवर्ती अन्वीक्षा में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो सकता। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि विचारण न्यायालय ने उक्त प्रदर्श पी-94 के आधार पर अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है।

61- अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने तर्कों के दौरान यह तर्क दिया है कि घटना दिनांक 28-09-98 की होना कहा गया है, जबकि इस घटना की प्रदर्श पी-70 प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11-10-98 को दर्ज करवाई गई है। इस अप्रत्याशित देरी के संबंध में किसी प्रकार का कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रदर्श पी-70 घटना दिनांक 02-10-98 के संबंध में उल्लेख लिये हुए है।

62- पी.ड.34 ललित बोड़ा, तत्कालीन वन्य जीव प्रतिपालक ने बयान किया है कि वह अक्टूबर 1998 में वन्य जीव प्रतिपालक एवं सहायक वन संरक्षक, वन्य जीव, जोधपुर के पद पर कार्यरत था। दिनांक 1 व 2 अक्टूबर की मध्य की रात्रि में कुछ व्यक्तियों द्वारा गुड़ा विश्नोई में कृष्ण मृगों का शिकार किये जाने के संबंध में जांच के संबंध में दिनांक 02-10-98 को मुकदमा संख्या 93(26)/98 दर्ज किया जाकर उसकी जांच तत्कालीन उपवन संरक्षक एम एल सोनल द्वारा की जा रही थी। दिनांक 07-10-98 को उपवन संरक्षक ने इस प्रकरण की अग्रिम जांच के लिये इस गवाह को अधिकृत किया। गवाह ने मौके की जांच की। जांच के दौरान गवाह ने शिकार में प्रयुक्त हुए वाहन जिप्सी नम्बर आर.जे.19-1सी-2201 के मालिकाना हक का पता लगाने के लिये डी-82 कमला नेहरू नगर में जाकर उक्त वाहन को अधिगृहित किया एवं जिप्सी के मालिक अरूण यादव व चालक हरीश दुलानी के बयान लिये। गवाह

का बयान है कि उसने जब हरीश दुलानी से पूछताछ की तो उसने बताया कि दिनांक 28-09-98 की रात्रि में अपीलार्थी सलमान खां, दुष्यंतसिंह, प्रतापसिंह, ओमसिंह, दिनेश गावरे व अन्य आधा दर्जन व्यक्तियों के साथ मथानिया से करीब 7 किलोमीटर दूर घोड़ा फार्म से एक अन्य व्यक्ति को लेकर उस क्षेत्र में चिंकारा हिरण का शिकार किया था, उसमें सलमान खां ने अपनी राईफल गन का उपयोग किया था।

63- पी.ड.34 ललित बोड़ा का कथन है कि मथानिया सरहद में चौकी नहीं होने एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से तथा अभियुक्तगण के अन्य राज्यों के होने के कारण गवाह ने इस घटना की रिपोर्ट को पुलिस में दर्ज करवाना उचित समझा। इस पर उसने दिनांक 11-10-98 को अपर पुलिस अधीक्षक, जोधपुर शहर अशोक पाटनी के समक्ष प्रस्तुत की। गवाह का यह भी कथन है कि उस समय तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक इस गवाह के कार्यालय में आये हुए थे, जिनको इस गवाह ने वहां पर प्रदर्श पी-70 प्रस्तुत की। इसके साथ गवाह हरीश दुलानी का असल बयान प्रदर्श पी-94 भी प्रेषित किया।

64- पी.ड.34 ललित बोड़ा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि घटना की जानकारी दिनांक 02-10-98 के प्रकरण संख्या 93(26)/98 की जांच में हुई थी। गवाह का प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन रहा है कि दिनांक 02-10-98 से 07-10-98 तक श्री एम एल सोनल ने जांच की थी एवं श्री सोनल के ध्यान में वर्तमान घटना की जानकारी आयी या नहीं, यह इस गवाह को ध्यान नहीं। जब इस गवाह को दिनांक 07-10-98 को इस केस की तफ्तीश सौंपी गई, तब इस गवाह के समक्ष प्रस्तुत हुए कागजों में इस घटना के बारे में कोई वर्णन नहीं था। पी.ड.34 ललित बोड़ा का कथन है कि उसे इस घटना की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 07-10-98 को हरीश दुलानी के बयानों से हुई थी। गवाह का कथन है कि इसके पहले अरूण यादव के बयान लिये थे। अरूण यादव के बयानों में हरीश दुलानी गवाह की जानकारी आने पर उसने हरीश दुलानी के बयान दिनांक 07-10-98 को ही लिये।

गवाह का कथन है कि जब उसने अरूण से पूछताछ शुरू की, उस समय हरीश भी उसके साथ ही था। गवाह पी.ड.34 ललित बोड़ा का यह भी कथन है कि अरूण व हरीश दुलानी स्वयं ही इस गवाह के कार्यालय में गवाह की हिदायत पर आये थे। प्रतिपरीक्षा में पी.ड.34 ललित बोड़ा का यह कथन है कि इस प्रकरण के अलावा दो अन्य प्रकरण भी उजागर हो गये थे। इन सभी प्रकरणों को देखते हुए गवाह ने अपने उच्चाधिकारियों से मशविरा किया। इमदाद आदि प्रशासनिक मदद मांगी। इस गवाह के मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 07-10-98 से पहले गवाह के विभाग को दिनांक 28-09-98 की इस घटना के संबंध में जानकारी नहीं थी एवं सर्वप्रथम दिनांक 07-10-98 को विभाग की जानकारी में दिनांक 28-09-98 की घटना आई। उपरोक्त परिस्थितियों में दिनांक 11-10-98 को पुलिस से प्रदर्श पी-70 के द्वारा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करने की प्रार्थना करना देरीना नहीं माना जा सकता। पी.ड.34 ललित बोड़ा का बयान है कि दिनांक 07-10-98 को दिनांक 28-09-98 की घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर विभाग के अन्य अधिकारियों व स्वयं पी.ड.34 ललित बोड़ा ने भी मामले में जांच, तहकीकात की थी। उपरोक्त परिस्थितियों में मैं इस मत का हूँ कि वन विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 93(26), जिसकी जांच दिनांक 02-10-98 को प्रारम्भ की जा चुकी थी, के संबंध में दिनांक 07-10-98 को बहुत सारे तथ्यों के सामने आने पर विस्तृत अनुसंधान के लिये पुलिस से मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करने की प्रार्थना करने में कोई अप्रत्याशित देरी नहीं हुई है।

65- विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण ने तर्कों के दौरान प्रदर्श पी-2 (फर्द निशादेही दिनांक 11-10-98 व फर्द जब्ती खून व सादा मिट्टी पैकेट मार्क ए व बी) के आधार पर तर्क दिया है कि उक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि जिस कथित हिरण का वध किया, उसका शव बरामद नहीं हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि प्रदर्श पी-1 उस स्थान का नक्शा मौका है, जहाँ हिरण की चीरफाड़ करना कहा गया है, लेकिन इस नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 से अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई उपधारणा नहीं बनाई जा सकती। इसी प्रकार उनका तर्क है

कि प्रदर्श पी-9 फर्द जब्ती हिरण के बाल व पूंछ, प्रदर्श पी-10 फर्द नक्शा दिनांक 12-10-98, जहां हिरण की खाल फैंकी गई तथा प्रदर्श पी-11 फर्द निरीक्षण दिनांक 12-10-98 घटनास्थल चिंकारा वध स्थल से अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई उपधारणा नहीं बनाई जा सकती। इसी प्रकार उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त-अपीलार्थी गोरधनसिंह द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दी गई कथित सूचना प्रदर्श पी-96 से भी अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई उपधारणा नहीं बनाई जा सकती क्योंकि कथित सूचना अभियुक्त गोरधनसिंह प्रदर्श पी-96 से किसी प्रकार का कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ है। अतः उनका तर्क है कि प्रदर्श पी-96 अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं पढ़ा जा सकता। इसी क्रम में उनका यह भी तर्क है कि प्रदर्श पी-18 सोहेल खां द्वारा एक चाकू पेश किये जाने के संबंध में व उक्त चाकू को जब्त किये जाने के संबंध में अनुसंधान के दौरान बनाई गई फर्द जब्ती है। इस फर्द को पी.ड.12 सुमनेश लिम्बा व पी.ड.13 दौलतराम की साक्ष्य के साथ पढ़ने से यह प्रकट होता है कि वह चाकू, जो अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता श्री अशोक पाटनी पी.ड.35 द्वारा जब्त किया गया, वह चाकू अप्रयुक्त चाकू था, जो सोहेल खां द्वारा पी.ड.12 सुमनेश लिम्बा व अन्य गवाह दौलतराम के सामने पुलिस को पेश किया गया था, जिसे पुलिस ने प्रदर्श पी-18 बनाकर अपने कब्जे में लिया था। पी.ड.12 सुमनेश लिम्बा का यह भी कथन है कि पुलिस ने उक्त चाकू को कपड़े की थैली में बांधकर बंद किया था। उक्त चाकू पी.ड.12 सुमनेश लिम्बा के बयानों के अनुसार बिल्कुल नया था। गवाह पी.ड.12 सुमनेश लिम्बा की यह भी अभिव्यक्ति है कि हो सकता है कि उक्त चाकू को पुलिस ने बाजार से खरीदकर सीधा मंगवाया हो। उक्त साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि अभियोजन साक्ष्य के अनुसार उक्त चाकू नया था एवं अभियोजन कहानी के अनुसार चाकू प्रयुक्त होना चाहिए था, इसलिये उक्त चाकू की बरामदगी से अभियोजन कहानी को अपना पक्ष प्रमाणित करने में किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है।

66- अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 67 पृष्ठ संख्या 102 से यह अवधारणा बनाई है कि पी.ड.1 हरीश दुलानी व एक अन्य गवाह पी.ड.37 दानाराम ने न्यायिक कार्यवाही में कुछ अभियुक्तगण को दण्ड से बचाने के दुराशय से जान-बूझकर मिथ्या साक्ष्य दी है। विचारण न्यायालय का उक्त निष्कर्ष अपने आप में यह दर्शाने के लिये पर्याप्त है कि अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को पी.ड.1 हरीश दुलानी की साक्ष्य, जो विद्वान विचारण न्यायालय ने अविश्वसनीय होना मानी है, के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय के अनुसार हरीश दुलानी पी.ड. 1 एक झूठा गवाह है। उनका यह भी तर्क रहा है कि चूंकि अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को गवाह से प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं मिला, ऐसी स्थिति में पी.ड.1 हरीश दुलानी की साक्ष्य अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती थी। अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने तर्कों के दौरान यह भी तर्क दिया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 52 के तहत पी.ड.1 हरीश दुलानी अपराध के लिये उत्प्रेरक था। घटनास्थल से बरामद किया गया रक्त किसका था, इस बारे में भी कोई सारभूत साक्ष्य उनके मतानुसार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि पी.ड.1 हरीश दुलानी ने अपनी साक्ष्य में कहीं यह कथन नहीं किया है कि अपीलार्थी सलमान खान ने चिंकारा का वध किया हो। वह केवल हिरण का वध करना कहता है। पूंछ के बाल, जो बरामद होना कहा गया है, उनके बारे में भी कोई साक्ष्य नहीं है कि उक्त बाल चिंकारा के हैं। इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने कोई सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। रक्त का व बालों का डीएनए परीक्षण नहीं करवाया गया है। चिंकारा का मांस भी बरामद नहीं हुआ है। घटनास्थल से छर्रों की भी बरामदगी नहीं हुई है। उनका यह भी तर्क है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 212 यह प्रावधान लिये हुए है कि चार्ज में समय, स्थान व व्यक्ति का जिक्र होगा, लेकिन अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप में स्थान का जिक्र नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 213 की भी अनुपालना आरोप विरचित करते समय नहीं की गई है। अतः आरोप विधिसम्मत नहीं है। उनके मतानुसार

प्रारम्भ में छह व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया था, लेकिन मात्र अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को ही अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया है, शेष अभियुक्तगण को साक्ष्य के अभाव में निर्दोष ठहराते हुए दोषमुक्त किया गया है। अतः उसी साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

67- इन सब तर्कों के साथ अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि अभियोजन पक्ष द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पी.ड.1 हरीश दुलानी को अभियोजन कहानी के प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तुत किया गया। उक्त गवाह को भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया। उक्त गवाह से अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं मिला। उक्त साक्षी का अन्य किसी साक्षी से सम्पोषण नहीं होता है। सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित करवाया है। इन सब के उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने बिना समुचित साक्ष्य के अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को दोषी ठहराने में विधिक व तथ्यात्मक भूल की है। अपने इन तर्कों के समर्थन में अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने AIR 1973 Supreme Court 2773 Kaliram Vs State of Himachal Pradesh एवं AIR 1984 Supreme Court 1622 Sharad Birdhichand Vs State of Maharashtra नजीरों का सहारा लिया है।

68- "Kaliram Vs State of Himachal Pradesh" के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त की दोषसिद्धी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णीत की जानी चाहिए, न कि इस आधार पर कि बहुत से व्यक्ति उसे दोषी होना मानते हैं। उक्त प्रतिपादन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अवधारित किया है कि किसी व्यक्ति को गलत रूप से दोषसिद्ध नहीं ठहराया जाना चाहिए। अभियुक्त ने अपराध किया है, ऐसी सम्भावना मात्र के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय को उपलब्ध

साक्ष्य के आधार पर इस आशय की निश्चित अवधारणा बनानी चाहिए।

69- "Sharad Birdhichand Vs State of Maharashtra" के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि केवल निश्चित व explicit evidence के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित माना जा सकता है। केवल नैतिकता के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

70- दाण्डिक न्यायशास्त्र का यह सुस्थापित नियम है कि किसी व्यक्ति को उपलब्ध सारभूत साक्ष्य के आधार पर ही दोषी ठहराया जा सकता है। यह भी दाण्डिक न्यायशास्त्र का सुस्थापित नियम है कि मात्र एक ही साक्षी की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धी का निर्णय किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में यह देखना होगा कि ऐसे साक्षी की साक्ष्य सच्चे मूल्य (Sterling worth) की हो। एकल साक्षी की साक्ष्य का अन्य साक्ष्य से सम्पोषण होता है अथवा नहीं, सामान्यतया देखना चाहिए, लेकिन यदि एकल गवाह की साक्ष्य सत्य की कसौटी पर खरी उतरती है एवं उक्त साक्ष्य से अभियुक्त की दोषसिद्धी के अलावा अन्य कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो ऐसे एकल साक्षी की साक्ष्य का सम्पोषक साक्ष्य के अभाव में भी अभियुक्त की दोषसिद्धी दाण्डिक न्यायशास्त्र के अनुसार की जा सकती है।

71- अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियाँ व तथ्यों के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादनों की रोशनी में विश्लेषण किया जाना हमारे लिये आवश्यक है।

72- इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि पी.ड.1 हरीश दुलानी के अलावा अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी कहानी के प्रमाणीकरण के लिये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ यह तथ्य

भी ध्यान देने योग्य है कि पी.ड.1 हरीश दुलानी को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित करवाया है। साथ-ही-साथ इस तथ्य को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को पी.ड.1 हरीश दुलानी से प्रतिपरीक्षा के लिये अधिकार व अवसर प्राप्त होने के उपरान्त भी उक्त गवाह से अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण ने प्रतिपरीक्षा नहीं की है। इस प्रकार अपीलार्थी-अभियुक्तगण ने उक्त गवाह की साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा के द्वारा चुनौती न देकर पी.ड.1 हरीश दुलानी की साक्ष्य की सत्यता को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा है। इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का विवेचन कर रहे हैं।

73- पी.ड.1 हरीश दुलानी का यह कथन रहा है कि जिप्सी नंबर आर.जे.19-1सी-2201 अरूण यादव की थी एवं पी.ड.1 गवाह उक्त जिप्सी पर दिनांक 26-09-98 से ड्राईवर के रूप में कार्यरत था। पी.ड.1 हरीश दुलानी का बयान है कि सलमान खां द्वारा जोधपुर में फिल्म की शूटिंग की जा रही थी, जिसमें इस गवाह को जिप्सी पर लगा रखा था। दिनांक 28-09-98 की रात्रि को उक्त गवाह जिस जिप्सी का चालक था, उस दिन रात को 10 बजे यह गवाह जिप्सी लेकर सलमान, दिनेश गावरे, दुष्यंतसिंह उम्मेद भवन से रवाना होकर टूटु बन्ना के बंगले पर गये, वहां से ओम जी, प्रताप जी व एक आधे गंजे व्यक्ति को जिप्सी में साथ लिया। दुष्यंत टुटु बन्ना के बंगले पर उतर गया। गवाह का कथन है कि जब ये लोग जोधपुर से रवाना हुए, तब जिप्सी में एक सर्चलाईट तथा दो बंदूकें साथ थीं, इनमें से एक बन्दूक दूरबीन वाली व एक बिना दूरबीन वाली थी। गवाह का यह प्रकट करना रहा कि जब ये लोग उम्मेद भवन से रवाना हुए, तब जिप्सी को सलमान खां चला रहा था। सलमान ने कहा कि वह जिप्सी चलाएगा, इसलिये गवाह ने जिप्सी सलमान को दे दी, वह नौकर आदमी था, इसलिये कुछ नहीं कहा एवं पीछे बैठ गया।

पी.ड.1 हरीश दुलानी का कथन है कि टुटु बन्ना के बंगले से रवाना होकर वे सभी लोग मथानिया गुड़ा फार्म पहुंचे। मथानिया से करीब डेढ किलोमीटर रेलवे क्रोसिंग से यह गुड़ा फार्म आया हुआ है, वहां जिप्सी की एंगल खुलवाकर वहीं रख

दिया तथा वहां से एक आदमी को खेतों की तरफ रास्ता बताने के लिये साथ में लिया। पी.ड.1 हरीश दुलानी का यह बयान है कि गुड़ा फार्म पर जिप्सी की बैटरी पर बोनट खोलकर सर्च लाईट का कनेक्शन किया, इस पर शोर्ट सर्किट होने से टर्मीनल के ऊपर का रंग उड़ गया। सर्चलाईट को चालू कर दिया। सर्चलाईट दिनेश गावरे के पास थी। गुड़ा फार्म से रवाना होकर करीब 5-7 किलोमीटर आगे गये। वहां पर एक हिरण दिखाई दिया। दिनेश ने सर्चलाईट हिरण पर फिक्स की, जिससे हिरण रूक गया, सलमान ने गाड़ी को रोककर दूरबीन वाली बन्दूक से सीट पर खड़े होकर हिरण पर निशाना साधकर फायर किया, जिससे हिरण घायल हो गया। हिरण के घायल होने पर सलमान जिप्सी लेकर हिरण के पास गया, वहां जाकर सलमान जिप्सी से नीचे उतरा, फिर जेब से छुरी निकालकर, ओम जी ने हिरण की टांगे पकड़ी, सलमान खां ने कुछ पढ़कर हिरण की गर्दन को पकड़कर गर्दन को काट दिया। पी.ड.1 हरीश दुलानी का बयान है कि मरे हुए हिरण को दिनेश गावरे व ओम जी ने पकड़कर जिप्सी में डाला तथा वापस गुड़ा फार्म आ गये। ओम जी, दिनेश गावरे ने जिप्सी से हिरण को उतारकर जमीन पर डाला, वहां एक व्यक्ति ने हिरण की खाल उतारकर बाकी हिरण को बोरी में डालकर जिप्सी में रख दिया। खाल का बाद में क्या किया, गवाह को पता नहीं है। पी.ड.1 हरीश दुलानी का बयान है कि वहां से वापस वे लोग जोधपुर आ गये। सलमान खां, दिनेश गावरे उम्मेद भवन में बन्दूकें वगैरा लेकर चले गये। ओमसिंह, जो सलमान खां का कुक था, को तोषनीवाल पैलेस के पास मरे हुए हिरण की बोरी सहित उतार दिया। प्रताप जी व गंजा आदमी एयरफोर्स के इलाके के आसपास उतर गये थे और गवाह जिप्सी लेकर अपने घर चला गया। मरा हुआ हिरण जिप्सी में डालने से उसका खून जिप्सी में गिरा था, जो इस गवाह ने साफ किया क्योंकि गाड़ी साफ करने की गवाह की ड्यूटी थी।

पी.ड.1 हरीश दुलानी का यह भी कथन रहा है कि उसने इस घटना के बाबत् मौका बाद में पुलिस को दिखाया था, जिसकी मौके पर लिखापढ़ी प्रदर्श पी-1 की गई। उस पर गवाह ने ए से बी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। हालात

मौका प्रदर्श पी-2 पर भी गवाह ने ए से बी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। पी.ड.1 हरीश दुलानी का यह भी कथन रहा है कि मौके पर से पुलिसवालों ने जो खून आलुदा लिया, उसके नमूने भी पैक कर सीलचेपा किये। इस प्रक्रम पर सहायक लोक अभियोजक ने गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवाया व उसके पूर्ववर्ती बयानों से उसे कन्फ्रन्ट किया। इस बयान में दुष्यंतसिंह का अपने साथ नहीं होना मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान प्रदर्श पी-3 में दुष्यंतसिंह का साथ होना नहीं लिखवाया जाना आदि गवाह ने बयान किया। प्रतापसिंह का नाम नहीं बताया जाना भी गवाह ने जाहिर किया।

पी.ड.1 हरीश दुलानी का यह भी कथन रहा है कि जब वह मौके पर पुलिसवालों के साथ गया था, तब गुड़ा फार्म पर जिस व्यक्ति को साथ लिया, उस व्यक्ति का नाम गोरधनसिंह होना मालूम हुआ। गवाह का कथन है कि उसने उस व्यक्ति को वहां नहीं देखा तथा बाद में भी नहीं देखा।

74- इस प्रक्रम पर पी.ड.1 हरीश दुलानी की अन्य साक्ष्य, जो इन अपीलों के निस्तारण के लिये सुसंगत नहीं है, का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि पी.ड.1 हरीश दुलानी की उक्त साक्ष्य विश्वसनीय है। इस साक्ष्य को मात्र इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पी.ड.1 हरीश दुलानी को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित करवाया है। अपने इस तर्क के समर्थन में 2006(1) Criminal Court Cases 989 Surendra singh Vs State of Haryana एवं 2006 R.Cr.D. 638 (SC) State of Madhya Pradesh Vs Badri Yadav & Ors. नजीरों का सहारा लिया है। इन दोनों प्रतिपादनों में माननीय उच्चतम न्यायालय की यह अभिव्यक्ति रही है कि यदि गवाह पक्षद्रोही भी घोषित हो जावे, तब भी गवाह की साक्ष्य सच्चे मूल्य (Sterling worth) की होने पर विश्वास योग्य है। विशेषकर वहां, जबकि ऐसे गवाहान मौके पर बनाई गई फर्दों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हैं।

75- निश्चित रूप से विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 67 में यह निष्कर्ष निकाला है कि पी.ड.1 हरीश दुलानी ने कुछ अभियुक्तगण को दण्ड से बचाने के उद्देश्य से जान-बूझकर मिथ्या साक्ष्य दी है। मात्र इस आधार पर Falsus in uno, Falsus in omnibus उपधारणा नहीं बनाई जा सकती। न्यायालय को गवाह के बयान के प्रत्येक भाग का सत्यता की कसौटी पर परीक्षण करना आवश्यक है एवं यदि गवाह के बयान का कुछ भाग सत्य की कसौटी पर खरा पाया जावे तो माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त वर्णित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर उक्त बयान पर न्यायालय को विश्वास करना होगा।

76- मेरे पूर्व के विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि पी.ड.1 हरीश दुलानी से अपीलार्थीगण -अभियुक्तगण को जिरह के लिये अवसर व अधिकार प्राप्त था, लेकिन उन्होंने उससे जिरह नहीं की व मात्र इस आधार पर कि अभियुक्तगण ने पी.ड.1 हरीश दुलानी से जिरह नहीं की, अभियुक्तगण के विरूद्ध पी.ड.1 हरीश दुलानी द्वारा किये गये कथन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि हरीश दुलानी से जिरह न कर अभियुक्तगण-अपीलार्थीगण ने उसके बयानों की सत्यता को स्वीकारा है।

77- विद्वान विचारण न्यायालय ने पी.ड.1 हरीश दुलानी की साक्ष्य मिथ्या होने के संबंध में अपने निर्णय के पैरा संख्या 67 में जो उपधारणा बनाई है, उसके संबंध में इस प्रक्रम पर केवल इतना ही कहना उचित होगा कि विचारण न्यायालय का उक्त निर्णय एक अन्य अपील में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

78- पी.ड.1 हरीश दुलानी का यह कथन है कि वह अरूण यादव की जिप्सी संख्या आर.जे.19-1सी2201 पर दिनांक 26-09-98 से चालक था। पी.ड.5 अरूण यादव ने बयान किया है कि उक्त जिप्सी का वह स्वामी है। उसने दिनांक 23-09-98 को उक्त जिप्सी उम्मेद भवन में लगाई थी। यह जिप्सी फिल्म की शूटिंग के लिये आने वाले मेहमानों के आने-जाने के लिये लगाई गई थी। पी.ड.5 अरूण यादव का

बयान है कि दुष्यंतसिंह के फोन से संदेश आने पर इस गवाह ने जिप्सी ड्राईवर हरीश दुलानी के साथ उम्मेद पैलेस भेजी थी। दिनांक 26 को वापस जिप्सी गवाह के पास आई, लेकिन उस दिन यह गवाह नहीं मिला। तब गवाह के भाई से मिलकर पेट्रोल भरवाकर जिप्सी वापस उम्मेद भवन चली गई। तत्पश्चात् 29 तारीख को जिप्सी वापस आई। पी.ड.5 अरूण यादव से काफी लम्बा प्रतिपरीक्षण किया गया है, लेकिन इस प्रतिपरीक्षण में गवाह की विश्वसनीयता विचलित नहीं हो पाई है एवं पी.ड.5 अरूण यादव की यह साक्ष्य विश्वसनीय पाई जाती है कि उसने अपनी जिप्सी संख्या आर.जे.19-1सी-2201 पी.ड.1 हरीश दुलानी चालक के साथ फिल्म की शूटिंग में प्रयुक्त होने के लिये दस हजार रूपये मेहनताने पर उपलब्ध करवाई थी।

79- पी.ड.1 हरीश दुलानी का यह कथन है कि वह दिनांक 28-09-98 को रात्रि में दस बजे के लगभग जब वह जिप्सी पर चालक के रूप में नियुक्त था, उक्त जिप्सी को सलमान खां, दिनेश गावरे, दुष्यंतसिंह आदि के साथ उम्मेद भवन से रवाना होकर टुटु बन्ना के बंगले गया, वहां से ओम जी व प्रताप जी व एक अध गंजे व्यक्ति को साथ लिया। दुष्यंत टुटु बन्ना के बंगले पर उतर गया। गवाह का कथन है कि जब ये लोग जोधपुर से रवाना हुए, तब जिप्सी में एक सर्चलाईट तथा दो बंदूकें साथ थीं, इनमें से एक बन्दूक दूरबीन वाली व एक बिना दूरबीन वाली थी।

80- पी.ड.2 पुखराज गवाह का बयान रहा है कि लगभग तीन साल पहले रात को एक बजे वह जाव में पाणत कर रहा था तो एक गाड़ी जो लाइटें डाल रही थी, वह उजलिया भाकर के पास जाव के ऊपर थी, गाड़ी मथानिया की तरफ से आई ओर उसी रास्ते वापस चली गई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर इस गवाह ने प्रकट किया है कि गाड़ी मथानिया की तरफ से आकर भवाद की तरफ गई तथा वहां से वापस मथानिया की ओर गई। अभियोजन प्रतिपरीक्षण में ही इस गवाह का यह भी कथन रहा है कि उसका खेत, जहां वह पाणत कर रहा था, उजलिया भाखर से 500 पावण्डा की दूरी पर है। गवाह पी.ड.2 पुखराज का यह भी कथन है कि उसने एक धमाका जरूर सुना था, लेकिन वह धमाका किस बात का था, उसे पता

नहीं है। हालाँकि गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवाया है, लेकिन इस साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस गवाह ने उजलिया भाखर के पास एक वाहन को रात्रि में, जब यह गवाह एक बजे के लगभग खेत में पाणत कर रहा था तो देखा एवं यह भी देखा कि उक्त वाहन से लाइटें डाली जा रही थीं।

81- पी.ड.6 सत्यमणि तिवारी का बयान है कि दिनांक 26-09-98 को उक्त गवाह चल यातायात पुलिस निरीक्षक के पद पर जोधपुर में कार्यरत था। एस पी साहब के मौखिक आदेश पर गवाह की ड्यूटी दिनांक 26-09-98 से "फिल्म यूनिट हम साथ-साथ हैं", के साथ लगाई थी। दिनांक 29-09-98 को शूटिंग के दौरान 9 बजे फिल्म एक्टर सलमान खां ने इस गवाह को बताया कि रात को उसका रिवाल्वर, जो तकिये के नीचे था, गायब हो गया है। रिवाल्वर में कारतूस भी भरे हुए थे। इस पर गवाह ने एस पी साहब को सूचित किया, जिन्होंने इस गवाह को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी। गवाह का बयान है कि इसके बाद वह सलमान के सहायक दिनेश गावरे के साथ उम्मेद भवन पहुंचा, वहां होटल के मैनेजर श्री सरकार व सिक्योरिटी आफिसर राजेन्द्रसिंह के साथ उस कमरे में गये, जिसमें सलमान खां रूका हुआ था। उस कमरे की रिवाल्वर को ढूंढने के लिये तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक सिल्वर कलर के कवर में दो हथियार, जिसमें एक .22 राईफल जिस पर एक टेलीस्कोप लगा था, दूसरी एक एयरगन जिस पर भी टेलीस्कोप लगा था, मिले। इन हथियारों का लाईसेन्स से मिलान किया गया। कमरे में रिवाल्वर नहीं मिलने पर बाथरूम में गये, वहां एक बेडशीट एक ऊपर वाली सेल्फ में पड़ी मिली, जिसको देखा गया तो उसमें एक रिवाल्वर पड़ा हुआ मिला, जिसका लाईसेन्स से रिवाल्वर के नंबरों का मिलान किया तो सही होना पाया। रिवाल्वर का चैम्बर खोलकर देखा गया तो उसमें पांच कारतूस लोडेड थे। उसने एस पी साहब को सूचना दी कि रिवाल्वर मिला गया है। इस बयान के आधार पर अभियोजन पक्ष ने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि दिनांक 28-09-98 की रात्रि में शिकार की घटना के तुरन्त बाद दिनांक 29-09-98 को सलमान खां जिस कमरे में ठहरा हुआ था, वहां से सलमान खां की गुमशुदा रिवाल्वर को ढूंढने पर पी.ड.6

सत्यमणि तिवारी पुलिसकर्मी ने अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां के कमरे में दो बन्दूकें देखीं। हालाँकि पी.ड.6 सत्यमणि तिवारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने इन बन्दूकों को देखने के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखापढ़ी मौके पर नहीं की तथा रिवाल्वर गायब होने के संबंध में एस पी द्वारा दिये गये आदेश के उपरान्त भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। इस आधार पर पी.ड.6 सत्यमणि तिवारी की साक्ष्य को अभियुक्तगण की ओर से संदिग्ध होना कहा गया था, लेकिन मात्र इस कारण कि दिनांक 29-09-98 को अपीलार्थी सलमान खां जिस कमरे में ठहरा हुआ था, उस कमरे में उसके गायब हुए रिवाल्वर की पी.ड.6 सत्यमणि तिवारी व अन्य व्यक्तियों द्वारा तलाश की गई एवं तलाशी के दौरान उसी कमरे के बाथरूम में उक्त रिवाल्वर मिल गई क्योंकि इस संबंध में कोई कागजी कार्यवाही नहीं की गई, इस आधार पर पी.ड.6 सत्यमणि तिवारी की उपरोक्त साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

82- पी.ड.7 रामकिशन का बयान है कि दिनांक 11-10-98 को पुलिसवाले उसे बुलाकर अपने साथ ले गये थे। पुलिस के साथ हरीश दुलानी नाम का आदमी भी जिप्सी में था। गवाह ने अपने साथ पूसाराम का होना भी बताया। गवाह का कथन है कि वहां से उसे घोड़ा फार्म ले गये। पी.ड.7 रामकिशन ने अपने बयानों में घोड़ा फार्म जिक्र किया है, घोड़ा फार्म व गुड़ा फार्म अलग-अलग स्थान हों, ऐसा कोई तर्क अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का नहीं रहा है। हो सकता है कि उच्चारण के कारण पी.ड.1 हरीश दुलानी का बयान लिखते समय उक्त स्थान को घोड़ा फार्म के स्थान पर गुड़ा फार्म लिख दिया गया हो अथवा पी.ड.7 रामकिशन के बयानों में गुड़ा फार्म के स्थान पर घोड़ा फार्म लिख दिया गया हो।

पी.ड.7 रामकिशन का कथन है कि जब यह गवाह घोड़ा फार्म गया तो हरीश ने घोड़ा फार्म पर ही थोड़ी दूरी पर एक खड्डा खुदा हुआ था, उसमें हिरण की खाल काटी हुई तथा खून व बाल पड़े थे, बताये। वहां से पुलिस ने एक प्लास्टिक के डिब्बे में खून सनी मिट्टी का नमूना लिया था और वहीं सील कर दिया। पी.ड.7

रामकिशन का बयान है कि इस कार्यवाही की मौके पर लिखापढ़ी प्रदर्श पी-1 की और फर्द निशादेही प्रदर्श पी-2 तैयार की थी। पी.ड.7 रामकिशन का बयान है कि दिनांक 12-10-98 को भी पुलिस वाले इस गवाह को साथ ले गये और उस दिन भी पूसाराम साथ था तथा अभियुक्त गोरधनसिंह भी पुलिस के साथ था। गोरधनसिंह उन्हें पहाड़ियों में जहां शिकार किया गया था, वहां ले गया तथा वहां पहुंचकर जिस जगह हिरण को गोली मारी गई, वह स्थान बताया। गवाह के अनुसार वहां पर खून का रेला मिट्टी में पड़ा हुआ था। पुलिसवालों ने उस मिट्टी का नमूना लिया तथा एक प्लास्टिक डिब्बे में सीलचेपा किया था। पी.ड.7 रामकिशन का यह भी कहना है कि वहां पर गोरधनसिंह ने छुरी टाईप चाकू व बन्दूक बरामद करवाई थी। लोक अभियोजक ने गवाह से प्रतिपरीक्षा की एवं इस प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने जाहिर किया कि 3-4 जगह मौके देखे थे, इसलिये किस जगह पर क्या-क्या कार्यवाही की गई, उसे सही-सही याद नहीं है, लेकिन गवाह की यह अभिव्यक्ति रही है कि जिस जगह पुलिस ने मौके पर लिखापढ़ी की थी, वह सही-सही लिखी हुई है। दिनांक 11-10-98 को पुलिस ने जब हरीश दुलानी के साथ मौका देखा, तब पुलिस द्वारा मौके पर से खून सनी मिट्टी के अलावा बाल भी लिया जाना गवाह ने जाहिर किया है। प्रदर्श पी-2 में बाल लेने का तथ्य लिखा हुआ नहीं है, गवाह का बयान है कि उसके विचार से उक्त तथ्य प्रदर्श पी-2 में लिखा जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने क्यों नहीं लिखा, वह नहीं बता सकता।

पी.ड.7 रामकिशन का यह भी कथन है कि गोरधनसिंह ने वह स्थान जहां उसने खाल फैंकना बताया था, पुलिस को दिखाया था तथा उस जगह हिरण के बाल भी बिखरे पड़े थे एवं हिरण की पूंछ का काला हिस्सा भी वहां पड़ा था। पी.ड.7 रामकिशन का यह भी बयान है कि पुलिस ने इस गवाह के सामने हिरण की पूंछ का टुकड़ा तथा बाल कब्जे में लिये थे, जिसे डिब्बे में डाल सीलचेपा किया था। हिरण की पूंछ का सिरा, बाल बरामद करने की मौके पर लिखापढ़ी की फर्द प्रदर्श पी-9 बनाया जाना व उस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना पी.ड.7 रामकिशन ने स्वीकार किया है। गवाह का यह भी कथन है कि उस जगह का नक्शा मौका भी पुलिस ने बनाया

था। अपने बयानों में पी.ड.7 रामकिशन का यह प्रकट करना रहा है कि जिस जगह हिरण की पूंछ का हिस्सा व बाल बरामद किये गये थे, वह जगह घोड़ा फार्म से 400 फीट की दूरी पर एक मेढ के पास है। गोरधनसिंह द्वारा पुलिस को वह जगह भी बताया जाना गवाह ने जाहिर किया है, जहां पर हिरण को गोली मारने के बाद हलाल किया गया था। वह जगह, घोडा फार्म से थोड़ी दूरी पर पहाड़ियों पर आई हुई है, उसकी ढलान में बताई थी। उस जगह से खून आलुदा मिट्टी, सादी मिट्टी के नमूने व हिरण के बाल कब्जे में लेकर सीलचेपा किये थे। शिकार स्थल के आसपास जिप्सी के टायरों के निशान भी मौजूद होना व पुलिस द्वारा इस संबंध में फर्द प्रदर्श पी-11 व प्रदर्श पी-12 बनाई जाना एवं उन पर अपने ए से बी हस्ताक्षर होना पी.ड.7 रामकिशन ने जाहिर किया है। इस गवाह से अभियुक्तगण के लिये लम्बी प्रतिपरीक्षा की गई है। प्रतिपरीक्षा में इस गवाह को सुझाव दिया कि पुलिसवालों ने कागजात पर थाने पर हस्ताक्षर करवाये थे, लेकिन इस सुझाव को गवाह ने नकारा और जाहिर किया कि कागजात पर उसने मौके पर हस्ताक्षर किये। गवाह से प्रतिपरीक्षा में यह भी पूछा गया कि जब उसे अपने पुत्रों की जन्मतिथि, अपने विवाह की तिथि याद नहीं है तो दिनांक 11-10-98 व 12-10-98 की तारीखें क्यों याद हैं, इस पर गवाह ने स्पष्टीकरण दिया कि उसको बयान देने थे, इसलिये उक्त तारीखें याद हैं।

83- पी.ड.8 गोरधनसिंह का बयान है कि दिनांक 14-10-98 को इस गवाह की उपस्थिति में जिप्सी संख्या आर.जे.19-1सी-2201, जो वन विभाग की निगरानी में थी, के टायरों के मोल्ड पुलिस द्वारा लिये गये थे, जिसकी मौके पर लिखापढ़ी की गई। चारों टायरों के निशान के नमूने लिये गये थे। उन पर सीडीईएफ मार्क किया गया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी-13 बनाई गई, जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर हैं।

पी.ड.8 गोरधनसिंह का यह भी कथन है कि दिनांक 07-10-98 को ललित कुमार बोड़ा द्वारा प्रदर्श पी-14 फर्द बनाई गई थी, जिस पर इस गवाह के सी से डी हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-14 की तमाम इबारत अरूण यादव के घर पर लिखा जाना पी.ड.8 गोरधनसिंह ने प्रकट किया।

84- पी.ड.9 सागरराम भी जिप्सी के चारों टायरों के मोल्ड सी-डी-ई-एफ दिनांक 14-10-98 को उठाये जाने व उसकी फर्द प्रदर्श पी-13 मौके पर बनाया जाना बयान करते हुए उस पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना जाहिर करता है। पी.ड.10 महावीरसिंह अभियुक्त गोरधनसिंह की गिरफ्तारी फर्द प्रदर्श पी-15 के द्वारा दिनांक 12-10-98 को की जाना बयान करता है। पी.ड.11 गनी खां को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित करवाया है। पी.ड.5 अरूण यादव ने गनी खां के कहने पर जिप्सी फिल्म यूनिट को उपलब्ध करवाना जाहिर किया, लेकिन गनी खां पी.ड.5 अरूण यादव के उक्त बयानों का सम्पोषण नहीं करता है एवं यह प्रकट करता है कि वह अरूण यादव नाम के किसी व्यक्ति को जानता ही नहीं है।

85- पी.ड.12 सुमनेश लिम्बा का बयान है कि उसके सामने पुलिस द्वारा अभियुक्त सलमान खां को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी-17 बनाई गई। गवाह का यह भी बयान है कि दिनांक 15-10-98 को ही सोहेल खां ने एक चाकू इस गवाह व दौलतराम के सामने पुलिस को पेश किया था, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर फर्द प्रदर्श पी-18 बनाई थी। चाकू सोहेल द्वारा अपनी जेब से निकालकर दिया जाना इस गवाह ने बयान किया है। गवाह का यह भी कथन है कि दोनों ही केसों की चारों फर्दों पर उसके व दौलतराम के हस्ताक्षर एक साथ करवाये गये थे।

86- पी.ड.13 दौलतराम ने अभियुक्त सलमान खां को प्रदर्श पी-17 के द्वारा गिरफ्तार किया जाना बयान किया है एवं जाहिर किया है कि उसी दिन सोहेल खां ने एक चाकू इस गवाह व पी.ड.12 सुमनेश लिम्बा के समाने पुलिस को पेश किया, जिसे पुलिस ने फर्द प्रदर्श पी-18 बनाकर जब्त किया। इस गवाह के अनुसार उक्त चाकू बिल्कुल नया था, काम में लिया हुआ नहीं था। प्रदर्श पी-17 व प्रदर्श पी-18 पर अपने व पी.ड.12 सुमनेश लिम्बा के हस्ताक्षर एक साथ पुलिस द्वारा करवाया जाना गवाह ने जाहिर किया है।

87- पी.ड. 14 शिवचंद का बयान है कि दिनांक 15-10-98 को उदय राघवन ने ललित बोड़ा को एक रिवाल्वर व एक राईफल पेश की, जो ललित बोड़ा ने अपने कब्जे में ली। हथियारों के साथ उदय राघवन ने सलमान खां का लाईसेन्स पेश किया एवं उसने उक्त हथियार बम्बई से लेकर आना बताया। पी.ड. 14 शिवचंद का बयान है कि सलमान खां ने उक्त हथियार अपने होना बताया। इन दोनों हथियारों को अलग-अलग कपड़े की थैली में डालकर सीलचेपा किया गया। मौके पर इस संबंध में फर्द बनाई गई, जो प्रदर्श पी-19 है, इस पर सी से डी गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना जाहिर किया। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया है कि वह वन विभाग में ललित बोड़ा के अधीन कार्यरत था। ओमप्रकाश जोशी के अलावा अन्य कोई मौतबीर नहीं था। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के परीक्षण में अभियुक्त सलमान खां ने उदय राघवन द्वारा हथियार पेश किया जाना स्वीकार किया है।

88- पी.ड. 16 अंगदलाल का बयान है कि दिनांक 07-10-98 को वह ललित बोड़ा व गोरधनसिंह के साथ अरूण यादव के कमला नेहरू नगर स्थित मकान पर गये। वहां से एक जिप्सी बरामद की, जिसकी लिखापढ़ी की गई। जिप्सी की पिछली सीट पर पोलीथीन लगी हुई थी, वहां जगह-जगह खून के निशान दिखाई दिये तथा जिप्सी के पीछे की सीटों के बीच में नीचे दो-चार बाल मिले और कुछ छोटे-छोटे चमड़े के टुकड़े मिले। उनकी एफएसएल से जांच हुई। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने इसकी जांच की। तब 5 छोटे छर्रे, एक बड़ा छर्रा व कुछ बाल मिले, जिनको कब्जे में लेकर थैली में डालकर सीलचेपा किया। मौके पर बनाई गई फर्द प्रदर्श पी-14 व प्रदर्श पी-20 पर गवाह अपने हस्ताक्षर होना कहा है। प्रतिपरीक्षण में गवाह का यह कथन रहा है कि दिनांक 12-10-98 को जब एफएसएल पार्टी वन विभाग में आई, तब उन्होंने जिप्सी में से खून लगे पोलीथीन के टुकड़े, बाल, छर्रे व खाल के टुकड़े अपने कब्जे में लिये। गवाह का यह कथन है कि उसके सामने बाल नहीं गिने गये।

89- पी.ड. 17 महेन्द्र व्यास दिनांक 12-10-98 को सुबह सवा नौ बजे अपने बचे हुए सामान को लेने के लिये वन विभाग के कार्यालय में गया। वहां ललित

बोड़ा के बारे में जानकारी की तो किसी ने बताया कि वे कोल डिपो गये हुए हैं, जिस पर गवाह कोल डिपो गया। गवाह का बयान है कि वहां जाने के बाद श्रवणकुमार ने हेमेन्द्र, मानसिंह व अंगदलाल के सामने जिप्सी नंबर आर.जे-19-1सी-2201 का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते समय उक्त जिप्सी के आगे की सीट के नीचे मेटिंग के नीचे छह छर्रे मिले और पीछे की मेटिंग पर 6-7 बाल मिले, जिनको उसके सामने कब्जे में लेकर अलग-अलग सीलचेपा कर फर्द प्रदर्श पी-20 मौके पर बनाई।

पी.ड. 17 महेन्द्र व्यास का यह भी कथन है कि उसी दिन ललित बोड़ा, ओम जी जोशी, वन विभाग के कर्मचारियों के साथ यह गवाह उम्मेद भवन गया और कमरा नंबर 508 की इस गवाह के सामने तलाशी ली गई। कमरे में एक एयरगन, टेलीस्कोप, एक कैमरा, एक कैमरारील व दो पैकेट छर्रे, जिसमें एक लूज व एक सील्ड था, मिले थे। इसकी मौके पर फर्द प्रदर्श पी-21 बनाई गई।

90- पी.ड. 18 मानसिंह, पी.ड. 17 महेन्द्र व्यास के बयानों का सम्पोषण करते हुए जाहिर करता है कि दिनांक 12-10-98 को इस गवाह व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कोल डिपो में खड़ी जिप्सी का श्रवणकुमार द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान जिप्सी के आगे बायीं सीट के नीचे मेटिंग के नीचे एक छर्रा 8 एमएम का व 5 छर्रे 5 एमएम के मिले, जिनको एक कागज के पैकेट में डालकर सीलचेपा किया। मेटिंग के ऊपर व नीचे 6-7 बाल के टुकड़े मिले, उनको एक लिफाफे में डालकर उनके सामने सीलचेपा किया, इसकी फर्द प्रदर्श पी-20 मौके पर बनाई गई, जिस पर आई से जे गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। गवाह का यह भी बयान है कि वजह सबूत मालखाना में लाकर श्रवणकुमार ने जमा किये। मालखाना की चाबी गवाह ने अपने पास रहना भी बयान किया एवं जाहिर किया है कि उक्त पैकेट मालखाना में जमा होने के पश्चात् ताला लगाया था। दिनांक 12-10-98 को ही मालखाना में चार पैकेट और जमा करना गवाह ने जाहिर किया। गवाह का बयान है कि दिनांक 15-10-98 को उसने मालखाना से चार पैकेट ए-बी-सी-डी सीलबंद हालत में निकाले और अग्रेषण पत्र लेकर यह गवाह वे पैकेट एसपी

कार्यालय गया, जो पैकेट गवाह ने वीरेन्द्रसिंह कांस्टेबल को सुपुर्द किये और एफएसएल में जमा कराने हेतु अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-21 तैयार कर सीलबंद हालत में पुनः इस गवाह को दिये, जो गवाह ने वापस सीलबंद हालत में मालखाना में जमा किये और ताला लगाया। इसी प्रकार पैकेट मार्क ई,ओ व पी को दिनांक 15-10-98 को गवाह द्वारा सीलबंद हालत में मालखाना में ताला लगाकर जमा रखना बयान करते हुए जाहिर करता है कि दिनांक 16-10-98 को उक्त पैकेट की एफएसएल से जांच करवाने के लिये एस पी कार्यालय गया, वहां सीलबंद हालत में उक्त पैकेट वीरेन्द्रसिंह को दिये, फिर वहां से अग्रेषण पत्र बनवाकर एफएसएल में जमा करवाने हेतु पुनः पैकेट सीलबंद हालत में प्राप्त किये, जो गवाह ने मालखाना में सीलबंद हालत में सुरक्षित रखे। गवाह का बयान है कि उक्त सभी वजह सबूत दिनांक 17-10-98 को एफएसएल में जमा करवाने हेतु जयपुर लेकर गया और सीलबंद हालत में एफएसएल में सुपुर्द कर रसीद प्रदर्श पी-24 प्राप्त की। प्रतिपरीक्षण में गवाह यह नहीं बता पाया है कि उसे दिये गये सीलबंद पैकेट पर किस प्राधिकारी की सील थी। गवाह का बयान है कि माल रखने के लिये उसे लिखित में आदेश नहीं था, मौखिक ही कहा गया था।

91- पी.ड.19 रामसिंह दिनांक 12-10-98 को पुलिस थाना, सरदारपुरा में एएसआई के पद पर तैनात था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ तफ्तीश के दौरान मौके पर गया था, जहाँ फर्द प्रदर्श पी-15 के द्वारा अभियुक्त गोरधनसिंह को गिरफ्तार किया गया। गवाह का बयान है कि दिनांक 17-10-98 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाना, मथानिया का वजह सबूत माल जमा कराने का निर्देश दिया, जिस पर गवाह ने थाना, उदयमंदिर पहुंचकर मालखाना इंचार्ज हड़मानसिंह से इस मुकदमें के छह सीलबंद पैकेट प्राप्त किये और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर अग्रेषण पत्र प्राप्त कर उक्त पैकेट सीलबंद हालत में ही एफएसएल जोधपुर में जमा करवाया जाना और रसीद प्रदर्श पी-29 व 30 प्राप्त करना गवाह बयान करता है।

92- पी.ड.20 हनुमानसिंह का बयान है कि दिनांक 11-10-98 को वह पुलिस थाना, उदयमंदिर में मालखाना इंचार्ज के पद पर था। पुलिस थाना, मथानिया के मकदमें के दो सीलबंद पैकट मार्क ए व बी, जो खून आलुदा मिट्टी व कण्ट्रोल मिट्टी के थे, वे पैकेट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक पाटनी द्वारा जब्तशुदा सोहनलाल एफसी ने लाकर पेश किये, जिसे इस गवाह ने मालखाना में जमा करना बताया है और कथन किया है कि उक्त पैकेट जरिये रोड नंबर 80 सीलबंद हालत में रामसिंह को सुपुर्द कर रसीद प्राप्त की थी। गवाह का कथन है कि दिनांक 12-10-98 को इसी मुकदमें में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने चार पैकेट, जिनमें एक में हिरण की खाल व बाल व पूंछ मार्क सी, एक सीलचेपा दूसरा पैकेट जिसमें खून आलुदा मिट्टी मार्क डी लिखा हुआ था एवं एक तीसरा पैकेट जिसमें मार्क ई लिखा हुआ था व चौथा पैकेट जिसमें नमूना मिट्टी कण्ट्रोल सेम्पल थी जो मार्क एफ लिखा हुआ था, उक्त चारों पैकेट मालखाना में जमा करना एवं ये पैकेट जरिये रोड नंबर 80 व 81 रामसिंह को सीलबंद हालत में सुपुर्द करना गवाह बयान करता है।

इस गवाह का यह भी कथन है कि दिनांक 14-10-98 को जिप्सी के टायर मोल्ड मार्क सी-डी-ई-एफ सीलचेपा हालत में बोराजसिंह ने गवाह के यहां लाकर जमा कराये। इसी प्रकार दिनांक 13-11-98 को दो पैकेट मार्क ए व बी किशनाराम एफएसी पुलिस थाना, मथानिया द्वारा अपने पास लाकर जमा करवाना गवाह ने बयान किया है। गवाह का बयान है कि उसने रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी-31 व प्रदर्श पी-32 के द्वारा रामसिंह एएसआई को वजह सबूत संभलाये। गवाह का यह भी बयान है कि जब तक माल उसके पास रहा, सीलचेपा हालत में रहा और सीलचेपा हालत में ही रामसिंह को सुपुर्द किया, इसका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में किया, जो इन्द्राज प्रदर्श पी-35 व प्रदर्श पी-36 होना गवाह ने बयान किया। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने इन सभी पैकेट पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व दो मौतबिरान व जिसकी निशादेही से बरामद किये गये, उनके हस्ताक्षर व सील लगी होना जाहिर किया।

93- पी.ड.23 भाखरराम का बयान है कि दिनांक 13-10-98 को बोराजसिंह थानाधिकारी ने इस गवाह, जो थाने का मालखाना इंचार्ज था, के पास जिप्सी के दो टायरों के मोल्ड मार्क ए व बी दुरस्त हालत में जमा कराये थे। जो इस गवाह ने दिनांक 13-11-98 को कांस्टेबल किशनाराम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के यहाँ ले जाने के लिये सीलबंद हालत में संभलाये। प्रतिपरीक्षण में इस माल का मालखाना में इन्द्राज किया जाना पी.ड.23 भाखरराम ने स्वीकार किया है, लेकिन बयान के समय मालखाना रजिस्टर उसके समक्ष नहीं होना बताया है। उन पैकेट पर एसएचओ की सील लगी होना भी गवाह ने जाहिर किया। दिनांक 13-11-98 को पी.ड.24 किशनाराम पुलिस थाना, मथानिया के मालखाना इंचार्ज से दो पैकेट सीलबंद हालत में प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास ले जाना व वहां से पुलिस थाना, उदयमंदिर के मालखाना में जमा करवाये जाने के लिये सीलबंद हालत में थाना उदयमंदिर में हनुमानसिंह एचसी को जमा कराना बयान करता है।

94- पी.ड.25 वीरेन्द्रसिंह घटनास्थल की फोटोग्राफी करना, एफएसएल में माल जमा कराने के लिये अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-27 व प्रदर्श पी-28 जारी किया जाना, रामसिंह से जो पैकेट प्राप्त किये, उसकी रसीद दिया जाना, रामसिंह द्वारा उक्त चार पैकेट के अलावा दो पैकेट लेकर आना व उनकी रसीद प्रदर्श पी-32 दिया जाना तथा अग्रेषण पत्र तैयार कर सीलबंद हालत में रामसिंह को सुपुर्द करना बयान करता है। गवाह का बयान है कि दिनांक 10-12-98 को जिप्सी टायरों के 6 मोल्ड एफएसएल में जमा कराने हेतु मदनलाल कांस्टेबल इस गवाह के पास लाया, जिस पर अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-67 तैयार कर पुनः मदनलाल को उसी हालत में संभलाये। प्रदर्श पी-24 अग्रेषण पत्र अपने साथ कार्यरत भवानीसिंह द्वारा तैयार किया जाना गवाह बयान करता है एवं जाहिर करता है कि दिनांक 15-10-98 को मानसिंह, वन विभाग, जोधपुर से चार सीलबंद पैकेट प्राप्त कर प्रदर्श पी-21 अग्रेषण पत्र तैयार कर एफएसएल में जमा कराने हेतु सीलबंद हालत में मानसिंह को संभलाये। गवाह का बयान है कि दिनांक 16-10-98 को दो सीलबंद पैकेट मानसिंह लेकर गवाह के पास आया, उसी दिन एक पैकेट प्रदर्श पी-21 पत्र के साथ मानसिंह लेकर आया, जिसको

प्राप्त कर रसीद प्रदर्श पी-69 गवाह ने दी और एफएसएल में जमा कराने हेतु अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-23 व प्रदर्श पी-25 तैयार कर पुनःउक्त पैकेट सीलबंद हालत में मानसिंह को संभलाये।

95- पी.ड.26 बोराजसिंह इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-70 पर मुकदमा दर्ज कर एफआईआर प्रदर्श पी-71 चाक करना बयान करता है। गवाह का बयान है कि दिनांक 14-10-98 को जिप्सी नंबर आर.जे.19-1सी-2201 के टायरों के मोल्ड इस गवाह के समक्ष इंचार्ज एम ओ वी जोधपुर ने प्रदर्श पी-13 के द्वारा लिये थे। इन मोल्ड पर मार्क सी से एफ अंकित किया। प्रदर्श पी-75 व प्रदर्श पी-76 पुलिस थाना, उदयमंदिर के रोजनामचा की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी-77 एफएसएल रिपोर्ट, प्रदर्श डी-3 पत्र, प्रदर्श पी-78 पत्र, प्रदर्श पी-27 व प्रदर्श पी-28 अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी-29 व प्रदर्श पी-30 रसीद, रोड सर्टिफिकेट रसीद प्रदर्श पी-21ए व प्रदर्श पी-32ए, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-33ए, पत्र प्रदर्श पी-79, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-67, रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी-35ए, रसीद प्रदर्श पी-80, रोड सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-68, एफएसएल रसीद रिपोर्ट प्रदर्श पी-81 व प्रदर्श पी-82, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-83, पत्र प्रदर्श पी-84, एफएसएल की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-26ए, प्रदर्श पी-22ए, प्रदर्श पी-25ए, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-85 व प्रदर्श पी-86, पत्र प्रदर्श पी-87, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-88 व प्रदर्श पी-89 व प्रदर्श पी-90 तथा अन्य कागजात आरोप पत्र के साथ पेश किया जाना गवाह ने बयान किया है।

96- पी.ड.27 विजयदान का बयान है कि दिनांक 14-10-98 को एमओबी शाखा का इंचार्ज था। क्षेत्रीय वन कार्यालय में खड़ी जिप्सी नंबर आर.जे.19-1सी-2201 के टायरों के नमूना मार्क लेने के लिये बुलाये जाने पर गवाह वहां पहुंचा। गवाह का कथन है कि सागरमल, गोवर्धनसिंह व मौतबिरान एवं थानाधिकारी मथानिया बोराजसिंह की मौजूदगी में जिप्सी को रेतीली जमीन पर आगे पीछे चलाकर चारों टायरों के नमूने प्लास्टर आफ पेरिस पाउडर से लिये जाकर मार्क सी

से एफ अंकित किया और उदयमंदिर थाना को मालखाना में रखने हेतु सुपुर्द किये थे। गवाह ने इस कार्यवाही की फर्द प्रदर्श पी-13 मौके पर तैयार किया जाना एवं जी से एच उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अदालत हाजा आर्टिकल 2 से 5 गवाह ने जिप्सी के टायरों से अपने द्वारा नमूना लिया जाना जाहिर किया।

97- पी.ड.28 सोहनलाल का बयान है कि वह अपर पुलिस अधीक्षक के साथ तफ्तीश में था। घोड़ा फार्म से वजह सबूत माल खून आलुदा मिट्टी व कण्ट्रोल मिट्टी सेम्पल मिट्टी के दो पैकेट सीलबंद हालत में मार्क ए व बी मालखाना में जमा करवाने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक पाटनी द्वारा उसको सुपुर्द किया जाना इस गवाह ने जाहिर किया एवं प्रकट किया कि उसने इन दोनों पैकेट्स को उसी दिन साढ़े ग्यारह बजे मालखाना इंचार्ज हनुमानसिंह, थाना उदयमंदिर को सीलबंद हालत में जमा करने हेतु संभलाये। जब तक उक्त दोनों पैकेट गवाह के पास रहे, सुरक्षित रहे।

98- पी.ड.29 मदनलाल का बयान है कि वह थानाधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 11-12-98 मुकदमा हाजा के वजह सबूत संबंधित कागजात लेकर पुलिस थाना, उदयमंदिर गया और वहां पर हनुमानसिंह ने इस गवाह को छह पैकेट मोल्ड जिप्सी के टायरों के दिये, जिसे लेकर गवाह एस पी कार्यालय गया और वहां से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर एफएसएल, जयपुर गया, जहां पर ऐतराज होने पर वजह सबूत जमा नहीं करवाये और वापस जोधपुर पहुंचकर माल को उक्त हनुमानसिंह के पास जमा करवाना प्रकट किया। गवाह का कथन है कि दिनांक 10-12-98 को पुनः उक्त टायरों के मोल्ड हनुमानसिंह से प्राप्त कर जरिये रसीद प्रदर्श पी-80 के एफएसएल में जमा करवाये। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-67 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

99- पी.ड.30 राजेन्द्रसिंह को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित करवाया है। गवाह का बयान है कि दिनांक 12-10-98 को इस गवाह के सामने उम्मेद भवन स्थित उस कमरे से जहां अभियुक्त सलमान खां ठहरा हुआ था, कोई तलाशी इस

गवाह के सामने नहीं ली गई और न ही उक्त कमरे में कोई चीजें ही बरामद की गईं। गवाह ने प्रदर्श पी-21 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इस गवाह का बयान है कि उसने प्रदर्श पी-21 पर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिये थे क्योंकि हस्ताक्षर करवानेवाले राजकीय अधिकारी थे।

100- पी.ड 31 भवानीसिंह का बयान है कि दिनांक 23-10-98 को, जब यह गवाह एस पी कार्यालय म ें त ैनात था , जिप्सी स ंख्या आर .जे.19-1 सी-2201 लेकर कैलाशगिरी एस पी कार्यालय आये। इस जिप्सी का अवलोकन कर गवाह ने अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-24 तैयार किया। जिप्सी व संबंधित कागजात प्रदर्श पी-24 के साथ कैलाशगिरी को सौंपकर एफएसएल में जमा कराने के निर्देश दिये।

101- पी.ड.34 ललित बोड़ा का बयान ह ै कि दिना ंक 02-10-98 को म ुकदमा संख्या 93(26)/98 वन विभाग की जांच तत्कालीन उपवन संरक्षक एल एम सोनल द्वारा की जा रही थी। दिनांक 07-10-98 को उक्त मुकदमें की जांच के दौरान गवाह ने हरीश द ुलानी से पूछताछ की तो उसने बताया कि दिनांक 28 सितम्बर, 98 की रात्रि में सलमान खां ने द ुष्यंतसिंह, प्रतापसिंह व ओमसिंह, दिनेश गावरे व आधे दर्जन व्यक्तियों के साथ मथानिया से करीब 7 किलोमीटर द ूर घोड़ा फार्म से एक अन्य व्यक्ति को ले ंकर उस क्षेत्र में चिंकारा हिरण का शिकार किया था , जिसमें सलमान ने अपनी राईफल गन का उपयोग किया था। मथानिया सरहद में चौकी नहीं होने एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से तथा अभियुक्तगण के अन्य राज्यों के होने के कारण गवाह ने इस घटना की रिपोर्ट को पुलिस में दर्ज करवाना उचित समझा। इस पर उसने दिना ंक 11-10-98 को अपर प ुलिस अधीक्षक, जोधपुर शहर अशोक पाटनी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्त ुत की। गवाह का यह भी कथन है कि उस समय तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक इस गवाह के कार्यालय में आये हुए थे, जिनको इस गवाह ने वहीं पर प्रदर्श पी-70 प्रस्तुत की। इसके साथ गवाह हरीश द ुलानी का असल बयान प्रदर्श ् पी -94 भी प्र ेषित किया। गवाह का बयान ह ै कि दौरान े अनुसंधान इस गवाह न े जिप्सी स ंख्या आर .जे.19-1 सी-2201 को जब्त किया।

जिप्सी के बोनट पर दाहिनी तरफ बैटरी के टर्मिनल के ऊपर जलकर उड़ने का निशान पाया गया एवं पीछे मेटिंग के नीचे झीरी में खून जैसे निशान तथा पिछली सीट के नीचे लटकते पोलीथीन के टुकड़े पर खून जैसे निशान पाये थे, जिसकी जांच करवाने हेतु गाड़ी अभिग्रहित की। मौके पर फर्द प्रदर्श पी-14 बनाई।

गवाह का यह भी बयान है कि दिनांक 15-10-98 को उदय राघवन ने वन विभाग के कार्यालय में उपस्थित होकर सलमान खां की मौजूदगी में एक रिवाल्वर .32 बोर नंबर 87011 व एक .22 राईफल नंबर 2118 गवाह को पेश किये थे, जो गवाह ने मौतबीर शिवचंद, ओमप्रकाश के सामने सीलचेपा कर फर्द प्रदर्श पी-19 बनाई और मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये। उदय राघवन ने हथियार पेश करते समय यह बताया था कि सलमान खां ने ये हथियार जोधपुर से बम्बई भिजवा दिये थे, जो अधिकृत पत्र के आधार पर उदय राघवन बम्बई से लेकर आया है, जो गवाह के समक्ष पेश कर रहा है। सलमान खां ने इस गवाह की उपस्थिति में उक्त दोनों हथियार अपने लाईसेन्सशुदा होना स्वीकार किया। उक्त हथियारों के लाईसेन्स इस गवाह के समक्ष प्रस्तुत हुए। गवाह का बयान है कि दिनांक 12-10-98 को इस गवाह ने उम्मेद भवन के कमरा नंबर 508, जहां अभियुक्त सलमान खां ठहरा हुआ था, की मौतबिरान महेन्द्र व्यास, राजेन्द्रसिंह, सोहेल खां, एम एल सोनल व श्रवणकुमार के समक्ष तलाशी ली। तलाशी में कमरे कैमरा, रील कॉडक, एयरगन नेशनल, एयर राईफल .22 केलीबर नंबर 26188 कवर सहित व एक टेलीस्कोप वाईड एंगल तथा एयर राईफल के छर्रे, एक खुला पैकेट व एक बंद पैकेट, जिनमें खुले पैकेट में 76 नगर थे, गवाह ने कब्जे में लेकर सीलबंद किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी-21 बनाई, उन्हें मालखाना में जमा करवाया। एफएसएल से जांच करवाने हेतु पत्र प्रदर्श पी-21 तैयार किया। वजह सबूत माल मार्क ए-बी-सी-डी एस पी कार्यालय सीलबंद हालत में भिजवाये गये और एफएसएल से जांच के लिये एस पी कार्यालय से अग्रेषण पत्र बनवाये गये। दिनांक 16-10-98 को दो सीलबंद पैक ओ व पी मानसिंह के साथ एस पी कार्यालय में एफएसएल जांच हेतु भिजवाये गये, जिसके साथ दस्तावेजात भिजवाये गये। मौके पर जिप्सी का परीक्षण वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एफएसएल,

जोधपुर के द्वारा किया जाकर उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-83 ली गई, जो गवाह ने पुलिस अधिकारी को प्रेषित की। एफएसएल के अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट दी, उसमें जिप्सी की रिपोर्ट प्रदर्श पी-85 है। पैकेट मार्क ए-बी-सी-डी की रिपोर्ट प्रदर्श पी-86 है। जिप्सी के मुआयने की रिपोर्ट प्रदर्श पी-88 है।

102- पी.ड.35 अशोक पाटनी अनुसंधानकर्ता अधिकारी है, जो उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य का सम्पोषण करता है तथा अनुसंधान के दौरान मौके मुआयने करना, गवाहान के बयान लेना, बरामदगियाँ करना आदि जाहिर करता है। इस गवाह का बयान काफी विस्तृत है एवं इस गवाह से काफी विस्तृत प्रतिपरीक्षण भी अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण द्वारा किया गया है। इस गवाह के द्वारा अनुसंधान कार्य किया गया है। अतः इस गवाह की साक्ष्य का यथा स्थान पर पूर्ण विवेचन किया जाएगा।

103- पी.ड.36 प्रभूसिंह दिनांक 13-10-98 को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना, मथानिया जाकर बोराजसिंह से मिलना, उनके निर्देशन में उजलिया भाखर पर रेतीली जमीन पर टायरों के निशान थे, उनको प्लास्टर आफ पेरिस आर्टिकल 7 व 8 से उठाना जाहिर करता है। गवाह का कथन है कि ये वही मोल्ड हैं, जो उसने एसएचओ बोराजसिंह व विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों की उपस्थिति में लिये थे। उपरोक्त मोल्ड के सरफेस पर के से एल अपनी इबारत लिखी होना व एम से एन अपने हस्ताक्षर होना गवाह ने बयान किया है। गवाह का बयान है कि उपरोक्त मोल्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को सुपुर्द कर दिये थे।

104- प्रत्यक्षदर्शी साक्षी में, जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि मात्र पी.ड.1 हरीश दुलानी की साक्ष्य है। इसके अलावा जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, उसका विस्तृत विवेचन विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में किया है।

105- प्रदर्श पी-1 फर्द नक्शा मौका, उस स्थान का है, जहाँ हिरण की चीड़फाड़ करना कहा गया है। पी.ड.35 अशोक पाटनी अनुसंधानकर्ता अधिकारी का बयान है कि गवाह हरीश दुलानी की निशादेही से उक्त फर्द प्रदर्श पी-1 मौके पर बनाई थी। इस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना पी.ड.1 हरीश दुलानी ने स्वीकार किया है। पी.ड.35 अशोक पाटनी का यह भी बयान है कि उसने पी.ड.1 हरीश दुलानी की निशादेही से उस स्थान पर, जहाँ हिरण की खाल निकाली गई व जहां से सबूत जब्त किये गये, उसकी फर्द प्रदर्श पी-2 मौके पर बनाई थी, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। पी.ड.7 रामकिशन ने भी अपने बयानों में प्रदर्श पी-1 नक्शा मौका व प्रदर्श पी-2 फर्द अपनी उपस्थिति में अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा बनाया जाना कहा है। प्रदर्श पी-1 के द्वारा घोड़ा फार्म मथानिया के खेत में स्थित उस जगह जहां वध किये गये हिरण की खाल निकाली गई, उस स्थान का नक्शा मौका बनाना कहा गया है, उस स्थान से खून आलुदा मिट्टी अनुसंधान के दौरान अपने आधिपत्य में लिया जाना व उसे सीलमोहर किया जाना पी.ड.35 अशोक पाटनी अनुसंधानकर्ता अधिकारी बयान करता है। फर्द जब्ती वजह सबूत प्रदर्श पी-2 भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज से यह दर्शाया गया है कि पी.ड.1 हरीश दुलानी ने उस स्थान की निशादेही की, जहाँ पर हिरण का शिकार कर मृत हिरण की खाल निकाली गई। उस स्थान पर रेतीली जमीन थी, वहां की मिट्टी खून आलुदा सूखी हुई थी, जिसे अनुसंधानकर्ता अधिकारी प्रदर्श पी-2 के द्वारा जब्त किया जाना बयान करता है। गवाह का बयान है कि उसने उक्त खून आलुदा मिट्टी को एक प्लास्टिक के डिब्बे में डालकर सीलमोहर किया। उसी स्थान के पास से नमूना मिट्टी को लेकर सीलमोहर किया जाना भी अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने बयान किया है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी की यह अभिव्यक्ति रही है कि उसने खून आलुदा मिट्टी के डिब्बे को मार्क ए व बी अंकित किया।

106- इन दोनों दस्तावेजात प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 की स्वतंत्र रूप से कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अभियोजन साक्ष्य के साथ पढ़े जाने पर यह प्रकट होता है कि गवाह पी.ड.1 हरीश दुलानी का इस संबंध में किया गया बयान विश्वसनीय है।

पी.ड.1 हरीश दुलानी का बयान प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 के साथ पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुसंधान के दौरान उस स्थान से जहाँ हिरण की खाल निकाली गई, वहां से खून आलुदा मिट्टी व नमूना मिट्टी अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने मौके पर जब्त कर सीलमोहर किया। इस मिट्टी के पैकेट्स को अनुसंधानकर्ता अधिकारी अनुसंधान के दौरान सक्षम थाने के मालखाने में जमा करवाया जाना बयान करता है एवं अभियोजन साक्षीगण, जिनकी साक्ष्य का मैंने ऊपर उल्लेख किया है, की साक्ष्य से यह पाया जाता है कि अनुसंधान के दौरान सीलमोहर पैकेट्स को थाने के मालखाने में जमा करवाया गया व एफएसएल परीक्षण हेतु भिजवाये जाने तक उक्त पैकेट्स सीलबंद हालत में रहे।

107- पी.ड. 7 गवाह रामकिशन ने प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 अनुसंधान के दौरान अपने समक्ष बनाया जाना बयान किया है। इस गवाह का यह भी कथन है कि पुलिस ने प्रदर्श पी-2 में वर्णित खून आलुदा मिट्टी तबेले के सामने से इस गवाह के सामने उठाई थी। गवाह पी.ड.7 रामकिशन प्रदर्श पी-9 फर्द अपने समक्ष मौके पर अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा बनाया जाना बयान करता है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी पी.ड.35 अशोक पाटनी का बयान है कि उसने अभियुक्त गोरधनसिंह की निशादेही से उक्त फर्द बनाई थी। अभियुक्त गोरधनसिंह ने वध किये गये हिरण की खाल निकालने के बाद उक्त स्थान पर फैंकना बताया था। उक्त स्थान पर हिरण की खाल व बाल जगह-जगह बिखरे पड़े हुए तथा कुछ बाल मौके पर पड़े मिले। पास ही एक हिरण की काली पूंछ का पिछला हिस्सा मिला। हिरण की खाल के बाल सफेद भूरे रंग के थे। मौके पर मिले बाल व पूंछ को वजह सबूत लेकर प्लास्टिक के डिब्बे में डालकर कपड़े की थैली में बंद कर सीलचेपा करना एवं पैकेट्स पर मार्क सी अंकित करना अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने बयान किया है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी का यह भी बयान है कि उसने इस मौके पर प्रदर्श पी-10 नक्शा मौका भी बनाया था। प्रदर्श पी-9 व प्रदर्श पी-10 पर अपने हस्ताक्षर होना पी.ड.7 रामकिशन ने स्वीकार किया है। गवाह रामकिशन का यह भी कथन रहा है कि इस गवाह के समक्ष पुलिस ने मौके से हिरण की पूंछ का टुकड़ा तथा बाल कब्जे में लिये थे, जिसे

मौके पर सीलमोहर किया गया। पी.ड..7 रामकिशन व पी.ड.35 अशोक पाटनी फर्द निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी-11 मौके पर बनाया जाना भी बयान करते हैं। इसी प्रकार पी.ड.7 रामकिशन व पी.ड.35 अशोक पाटनी गवाहान का बयान है कि मौके पर फर्द जब्ती वजह सबूत लिये गये मिट्टी, शिकार किये गये हिरण के बाल आदि को प्रदर्श पी-12 के द्वारा जब्त किया गया था। मौके से जब्त किये गये खून से सनी मिट्टी को उठाकर एक प्लास्टिक के डिब्बे में डालकर सीलमोहर किया गया। इसी स्थान से हिरण के छोटे-छोटे बाल जब्त कर मौके पर ही सीलमोहर किया गया। मौके से जब्त किये गये खून आलुदा मिट्टी के पैकेट्स पर मार्क डी, नमूना मिट्टी पर मार्क एफ, बाल वाले पैकेट पर मार्क ई अंकित किया जाना पी.ड.35 अशोक पाटनी ने बयान किया। पी.ड.7 रामकिशन यह कार्यवाही अपने समक्ष किया जाना बयान करता है।

108- अभियोजन साक्षी पी.ड.20 हनुमानसिंह ने उक्त पैकेट्स सीलबंद हालत में अपने थाने के मालखाने में रखना बयान किया है तथा पी.ड.28 सोहनलाल एफ सी द्वारा अपने पास लाकर जमा करवाना भी जाहिर किया है। पी.ड. 20 हनुमानसिंह का यह बयान है कि दिनांक 12-10-98 को इस मुकदमें में चार सीलबंद पैकेट्स मार्क ए-बी-सी-डी पी.ड.35 अशोक पाटनी ने इस गवाह के पास सीलबंद हालत में जमा करवाये। इन अभियोजन साक्षीगण का पी.ड.35 अशोक पाटनी की साक्ष्य से सम्पोषण होता है। गवाह हनुमानसिंह का यह भी बयान है कि उसने सभी छहों सीलबंद पैकेट्स सीलबंद हालत में दिनांक 17-11-98 को रामसिंह को एफएसएल में जमा कराने के लिये दिये। पी.ड.19 रामसिंह भी उक्त पैकेट्स को सीलबंद हालत में एफएसएल में जमा करवाये जाने के लिये ले जाना व सीलबंद हालत में ही एफएसएल में जमा करवाना कहता है। अभियोजन साक्षीगण की उपरोक्त साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुसंधान के दौरान मौके पर जो पी.ड.35 अशोक पाटनी ने पैकेट्स सीलबंद किये, उक्त पैकेट्स मौके से लेकर एफएसएल में परीक्षण हेतु भिजवाने तक सीलबंद अवस्था में रहे। एफएसएल रिपोर्टस प्रदर्श पी-80 व प्रदर्श पी-81 के अनुसार उक्त छहों नमूने सीलबंद हालत में एफएसएल में परीक्षण हेतु पहुंचे।

109-   एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-82 के अनुसार पैकेट मार्क ए व पैकेट मार्क डी की सामग्री सिरियोलोजीकल परीक्षण पर चिंकारा के रक्त से रंजित पाई गई। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-81 के अनुसार पैकेट मार्क सी की सामग्री परीक्षण के लिये उपयुक्त नहीं पाई गई। इस एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-81 के अनुसार पैकेट मार्क ई तथा पैकेट मार्क सी को बायोलोजी डिवीजन में परीक्षण हेतु भिजवाना जाना कहा गया।

110-   तर्कों के दौरान अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का यह कथन रहा है कि प्रदर्श पी-82 रिपोर्ट तैयार करनेवाले व्यक्ति ने किस आधार पर उक्त रिपोर्ट में चिंकारा का रक्त विद्यमान पाया, इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि उक्त व्यक्ति, जिसके द्वारा परीक्षण किया गया, क्या योग्यतायें रखता था, इस बारे में भी किसी प्रकार की कोई अभिव्यक्ति अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं की गई है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य है। यदि अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण यह समझते थे कि वह व्यक्ति, जिसके द्वारा उक्त परीक्षण किया गया, निर्धारित योग्यतायें नहीं रखता था, अथवा उसे परीक्षण की विधि का ज्ञान नहीं था तो वे यथासमय ऐसे अधिकारी को साक्ष्य में प्रतिपरीक्षा हेतु आहूत करने के लिये आवेदन कर सकते थे, लेकिन अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण ने ऐसा नहीं किया है। अतः अब उन्हें अपील के इस क्रम में परीक्षण करनेवाले व्यक्ति की योग्यतायें, परीक्षण करने के तरीके आदि के संबंध में विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अभियोजन साक्ष्य उपरोक्त वर्णित से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनुसंधान के दौरान घटनास्थल से जो खून आलुदा मिट्टी प्रदर्श पी-1, प्रदर्श पी-2, प्रदर्श पी-9, प्रदर्श पी-10, प्रदर्श पी-11, प्रदर्श पी-12 के माध्यम से जब्त की गई, वह मिट्टी चिंकारा के रक्त से रंजित थी।

111-   एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-89 के अनुसार जिन चार पैकेट्स का परीक्षण किया गया, उनमें से दो पैकेट्स रक्त रंजित मिट्टी के तथा दो पैकेट्स मिट्टी के कण्ट्रोल नमूने के थे। प्रदर्श पी-1 की रक्त रंजित मिट्टी के नमूने प्रदर्श पी-2 नमूने की मिट्टी के

नमूने से मेल खाते पाये गये। मौके से उठाई गई रक्त रंजित मिट्टी के नमूने में चिंकारा का रक्त होना पाया गया। यह रक्त रंजित मिट्टी अभियोजन साक्ष्य के अनुसार उस स्थान से उठाई गई, जहां अभियुक्त सलमान खां द्वारा दिनांक 28-09-98 की रात को हिरण के गोली मारना कहा गया है व हिरण के घायल होने के पश्चात् उक्त हिरण को अभियुक्त सलमान खां द्वारा छुरी से गले पर वार करना एवं अन्य स्थान पर ले जाकर उसकी खाल उतारना कहा गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य व पी.ड.1 हरीश दुलानी के बयानों को साथ-साथ पढ़ने से पी.ड.1 हरीश दुलानी के बयानों का सम्पोषण होता है व पी.ड.1 हरीश दुलानी का बयान इस सीमा तक विश्वसनीय होना पाया जाता है।

112- एक अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य घटना के दौरान जिप्सी प्रयुक्त किये जाने के संबंध में है। पी.ड.36 प्रभूसिंह ने अपने बयानों में यह बताया है कि दिनांक 13-10-98 को थानाधिकारी बोराजसिंह व एफएसएल की टीम की मौजूदगी में उजलिया भाखर स्थान से टायरों के मोल्ड उठाये गये थे, जिन्हें ए व बी मार्क किया गया। ये मोल्ड पुलिस थाना, मथानिया के रोजनामचा प्रदर्श पी-73 के अनुसार थाने में जमा हुए। पी.ड.35 अशोक पाटनी का भी बयान है कि उसने अनुसंधान के दौरान उजलिया भाखर से जिप्सी के टायरों के मोल्ड उठाने के लिये थानाधिकारी बोराजसिंह को निर्देश दिये थे एवं थानाधिकारी मथानिया ने एफएसएल व एमओबी की टीम के साथ मौके से टायरों के मोल्ड उठाये थे। पी.ड.27 विजयदान एम.ओ. इंचार्ज ने अपने बयानों में यह दर्शाया है कि उसने प्रदर्श पी-13 के द्वारा जिप्सी के टायरों के मोल्ड दिनांक 14-10-98 को वन विभाग के कार्यालय में जाकर उठाये थे। पी.ड.8 गोरधनसिंह, पी.ड.9 सागरराम व पी.ड.26 बोराजसिंह ने पी.ड.27 के उक्त बयान का सम्पोषण किया है। टायरों के नमूने मार्क सी से एफ मालखाना में जमा करवाया जाना भी अभियोजन कहानी से प्रकट होता है। उजलिया भाखर से उठाये गये टायरों के मोल्ड के निशान का मिलान प्रदर्श पी-13 के द्वारा वन विभाग कार्यालय में खड़ी जिप्सी नम्बर आर.जे.19-1सी-2201 के टायरों के उठाये गये मोल्ड के निशानों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया गया। इन चारों

ही मार्क का परीक्षण करने के पश्चात् विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने प्रदर्श पी-90 रिपोर्ट दी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने प्रदर्श पी-90 में निम्न प्रकार अंकित किया है :

1- Tyre tread impressions in the mould exhibit A-1 is similar to the Tyre tread impressions in the moulds exhibit D-1, E-1 and F-1 in respect of tread design and dimensions in general.

2- moulds B-1 and C-1 are poorly reproduced, hence are not suitable for comparison.

113- उजलिया भाखर पर पाये गये जिप्सी के टायरों के निशानों का मिलान वन विभाग में खड़ी जिप्सी के टायरों के निशान से करने पर मार्क ए-1 से मार्क डी-1, ई-1, एफ-1 के निशानों में समानता पाई गई। इस एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उजलिया भाखर में जिस जिप्सी के टायरों के निशान पाये गये, वह जिप्सी नम्बर आर.जे.19-1सी-2201 थी, जिसके टायरों के निशान मौके पर के टायरों के निशान से मेल खाते पाये गये। इस अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष भी निकलता है कि चिंकारा के वध के समय जिप्सी आर.जे.19-1सी-2201 प्रयुक्त हुई। उक्त तथ्य भी पी.ड.1 हरीश दुलानी के बयानों का सम्पोषण करता है।

114- यहाँ इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दिनांक 29-09-98 को पी.ड.6 सत्यमणी तिवारी ने अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां की रिवाल्वर खो जाने के संबंध में जब तहकीकात की व उक्त रिवाल्वर को ढूंढने के लिये वह उम्मेद भवन स्थित सलमान खां के कमरा नंबर 508 में गया तो वहां उसने तलाशी के दौरान एक सिल्वर कलर के कवर में दो हथियार, जिनमें एक .22 राईफल जिस पर एक टेलीस्कोप लगा था, दूसरी एक एयरगन जिस पर भी टेलीस्कोप लगा था, देखे। पी.ड.1 हरीश दुलानी गवाह का कथन है कि अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां ने दूरबीन वाली बन्दूक से जिप्सी की सीट पर खड़े होकर हिरण पर निशाना साधकर फायर किया, जिससे हिरण घायल हो गया। घटना दिनांक 28-09-98 की

रात्रि की बताई जाती है एवं घटना के तुरन्त बाद दिनांक 29-09-98 को दिन में अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान की रिवाल्वर के खो जाने के संबंध में की गई जांच पड़ताल के दौरान पी.ड.6 सत्यमणी तिवारी द्वारा अभियुक्त के कमरे में टेलीस्कोपिक राईफल देखना भी अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी पी.ड.1 हरीश दुलानी के बयान का सम्पोषण करती है कि अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां ने घटना की रात्रि को टेलीस्कोपिक राईफल से निशाना साधकर गोली चलाकर हिरण का शिकार किया।

115- परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में इस कड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पी.ड.1 हरीश दुलानी का यह बयान है कि जब जिप्सी में सर्चलाईट स्थापित की जाने लगी तो शोर्ट सर्किट हो जाने से टर्मीनल के ऊपर के हिस्से का रंग उड़ गया। जिप्सी जब्ती की फर्द प्रदर्श पी-14 में भी इस तथ्य का उल्लेख है कि बैटरी का करण्ट लूज होने से काला निशान रंग उड़ने का पाया गया है। पी.ड.16 अंगदलाल का बयान है कि उसने प्रदर्श पी-14 के द्वारा जिप्सी को जब्त किया था। जिप्सी में खून के छींटे पाये गये थे। प्रदर्श पी-88 रासायनिक जांच परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उक्त जिप्सी में हिरण के रक्त के छींटे पाये गये थे। उक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी पी.ड.1 हरीश दुलानी के बयानों का सम्पोषण करती है।

116- पी.ड.1 हरीश दुलानी की मौखिक साक्ष्य का परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिसका हमने ऊपर विवेचन किया है, से सम्पोषण होना पाया गया है एवं इस सम्पोषण के आधार पर पी.ड.1 हरीश दुलानी की साक्ष्य विश्वसनीय पाई जाती है। इस साक्ष्य तथा दस्तावेजात, जिनका मैंने ऊपर विवेचन किया है, को साथ पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 28-09-98 को रात्रि में अभियुक्त सलमान खां ने उजलिया भाखर में बोलचाल की भाषा में हिरण व एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार चिंकारा का शिकार अपनी बन्दूक से किया।

117- विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थीगण के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि जब अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता व आयुध अधिनियम के उल्लंघन के लिये अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोषी नहीं पाया गया तो उन्हें धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस संबंध में उनका यह तर्क है कि अभियुक्तगण पर अवैध जनसमूह बनाकर विभिन्न अपराध संयुक्त रूप से करने का आरोप था। आरोप अनुसंधान के दौरान उपलब्ध सामग्री, तथ्यों व दस्तावेजात के आधार पर विरचित किये जाते हैं, लेकिन दोषसिद्धी साक्ष्य की विवेचना के उपरान्त ही की जाती है। अन्य अपराधों के लिये दोषमुक्त कर दिये जाने से यह अवधारित नहीं किया जा सकता कि साक्ष्य से साबित होनेवाला अपराध भी अभियुक्तगण ने नहीं किया है।

118- अतः अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 51 के तहत उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोषी पाया जाता है। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां को उक्त आरोप के लिये दोषी ठहराने में कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक भूल नहीं की है।

119- जहाँ तक अभियुक्त-अपीलार्थी गोरधनसिंह को धारा 51 सपठित धारा 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत दोषी ठहराने का प्रश्न है। इस संबंध में केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि पी.ड.1 हरीश दुलानी की साक्ष्य उक्त अभियुक्त-अपीलार्थी गोरधनसिंह की आरोप में संलिप्तता के संबंध में विरोधाभास लिये हुए है। पी.ड.1 हरीश दुलानी का कहीं यह कथन नहीं है कि वह अभियुक्त-अपीलार्थी गोरधनसिंह को पहले से पहचानता था।

120- पी.ड.1 हरीश दुलानी का यह कथन रहा है कि दिनांक 28-09-98 की रात्रि को उक्त गवाह जिस जिप्सी का चालक था, उस पर सलमान खां, दिनेश गावरे, ओम जी, प्रताप जी टुटू बन्ना के बंगले से रवाना होकर मथानिया गुड़ा फार्म पहुंचे। मथानिया से करीब डेढ किलोमीटर रेलवे क्रोसिंग से यह गुड़ा फार्म आया हुआ है,

वहां जिप्सी की एंगल खुलवाकर वहीं रख दिया तथा वहां से एक आदमी को खेतों की तरफ रास्ता बताने के लिये साथ में लिया। वह व्यक्ति जिसे खेतों की तरफ का रास्ता दिखाने के लिये साथ लिया, कौन था, इस बारे में अन्वीक्षा के दौरान किसी प्रकार का कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है।

पी.ड.1 हरीश दुलानी का यह बयान है कि गुड़ा फार्म पर जिप्सी की बैटरी पर बोनट खोलकर सर्च लाईट का कनेक्शन किया, इस पर शोर्ट सर्किट होने से टर्मीनल के ऊपर का रंग उड़ गया। सर्चलाईट को चालू कर दिया। सर्चलाईट गावरे के पास थी। गुड़ा फार्म से रवाना होकर करीब 5-7 किलोमीटर आगे गये। वहां पर एक हिरण दिखाई दिया। दिनेश ने सर्चलाईट हिरण पर फिक्स की, जिससे हिरण रूक गया, सलमान ने गाड़ी को रोककर दूरबीन वाली बन्दूक से सीट पर खड़े होकर हिरण पर निशाना साधकर फायर किया, जिससे हिरण घायल हो गया। हिरण के घायल होने पर सलमान जिप्सी लेकर हिरण के पास गया, वहां जाकर सलमान जिप्सी से नीचे उतरा, फिर जेब से छुरी निकालकर, ओम जी ने हिरण की टांगे पकड़ी, सलमान खां हिरण की गर्दन को पकड़कर कुछ पढ़कर गर्दन को काट दिया। पी.ड.1 हरीश दुलानी का बयान है कि मरे हुए हिरण को दिनेश गावरे व ओम जी ने पकड़कर जिप्सी में डाला तथा वापस गुड़ा फार्म आ गये। ओम जी, दिनेश गावरे ने जिप्सी से हिरण को उतारकर जमीन पर डाला, वहां एक व्यक्ति ने हिरण की खाल उतारकर बाकी हिरण को बोरी में डालकर जिप्सी में रख दिया। वह व्यक्ति कौन था, इस बारे में भी पी.ड.1 हरीश दुलानी ने कोई स्पष्टीकरण अपने बयानों में नहीं दिया है।

पी.ड.1 हरीश दुलानी ने सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट किया है कि जब यह गवाह मौके पर पुलिसवालों के साथ गया तो जिस व्यक्ति को गुड़ा फार्म से साथ लिया, उस व्यक्ति का नाम गोरधनसिंह होना मालूम पड़ा था, लेकिन इस गवाह का बयान है कि उसने मौके पर गोरधनसिंह को नहीं देखा। पी.ड.1 हरीश दुलानी का यह भी बयान है कि उसने बाद में गोरधनसिंह को

नहीं देखा। पी.ड.1 हरीश दुलानी से अपीलार्थी गोरधनसिंह की कोई शिनाख्त किसी प्रक्रम पर नहीं करवाई गई। केवल इसलिये कि जब यह गवाह पुलिस के साथ मौके पर गुडा फार्म जाना प्रकट करता है, वहां उसे उस व्यक्ति का नाम गोरधनसिंह होना मालूम होता है, के आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी गोरधनसिंह को किसी कृत्य के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

121- अभियोजन पक्ष यदि इस बारे में निश्चित था कि वह व्यक्ति, जिसे गुड़ा फार्म से जंगल का रास्ता दिखाने के लिये साथ लिया गया, अभियुक्त-अपीलार्थी गोरधनसिंह ही था तो अभियुक्त-अपीलार्थी गोरधनसिंह की शिनाख्त पी.ड.1 हरीश दुलानी से अनुसंधान के दौरान करवानी चाहिए थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने अनुसंधान के दौरान या अन्वीक्षा के दौरान ऐसा नहीं किया। जब विशिष्ठ रूप से पी.ड.1 हरीश दुलानी यह कह रहा है कि उसने जब वह पुलिस के साथ घोड़ा फार्म गया, वहां गोरधनसिंह को नहीं देखा, उसके पश्चात् उसने गोरधनसिंह को नहीं देखा, केवल गुड़ा फार्म से गोरधनसिंह उस व्यक्ति का नाम मालूम होने के आधार पर शिनाख्तगी की कार्यवाही के अभाव में अपीलार्थी-अभियुक्त गोरधनसिंह को आरोपित अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मेरी विनम्र राय में विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त आधार पर तथा गोरधनसिंह की निशादेही से बनाई गई फर्द के आधार पर गोरधनसिंह को धारा 51 सपठित धारा 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत आरोपित अपराध के लिये दोषी ठहराने में विधिक व तथ्यात्मक भूल की है।

122- उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त गोरधनसिंह की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है और स्वीकार की जाती है। अभियुक्त अपीलार्थी सलमान खां की अपील उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर सारहीन होना पाया जाता है।

123- तर्कों के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां के विद्वान अधिवक्ता ने AIR 1989 Supreme Court 1456 Allauddin Mian & Ors. Vs Sharif Mian & Ors. नजीर का सहारा लेते हुए तर्क दिया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10-04-2006 को अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां को धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत दोषी ठहराये जाने के पश्चात् सजा के प्रश्न पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के तहत सुनवाई के लिये सम्पूर्ण अवसर नहीं दिया। उनका तर्क है कि अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 10-04-2006 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत कर दर्शाया था कि वह सजा के बिन्दु पर साक्ष्य प्रस्तुत कर विस्तृत बहस करना चाहता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अभियुक्त को सजा के बिन्दु पर साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं विस्तृत बहस करने पर समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था। इस आवेदन के उपरान्त भी विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त नजीर में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को नजरअंदाज करते हुए सजा के प्रश्न पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये व विस्तृत बहस करने के लिये अवसर नहीं दिया है। उनके मतानुसार विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां को दी गई सजा उपरोक्त परिस्थितियों में अवैध है।

124- तर्कों के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां के अधिवक्ता यह नहीं दर्शा पाये कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष सजा के बिन्दु पर किस प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते थे और क्या विस्तृत बहस करना चाहते थे। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 10-04-2006 को प्रस्तुत आवेदन में भी इस संबंध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां की ओर से नहीं किया गया है। आक्षेपित निर्णय दिनांक 10-04-2006 के अध्ययन से यह स्पष्टतया पाया जाता है कि विचारण न्यायालय ने सजा के बिन्दु पर सहायक निदेशक अभियोजन व अधिवक्ता अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां को विस्तारपूर्वक सुना है। विचारण न्यायालय ने अपने उक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला है कि

अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने या न्यूनतम सजा से दण्डित करने के योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष सजा के प्रश्न पर अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां की सुनवाई नहीं हुई, कहना अपीलार्थी-अभियुक्त की हठधर्मिता है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से 12 न्यायिक दृष्टान्त किस प्रकार की सजा दी जावे, बाबत् प्रस्तुत किये गये। विद्वान विचारण न्यायालय ने इन सभी न्यायिक दृष्टान्तों का विस्तृत विवेचन कर इस संबंध में अपना लगभग 6 पृष्ठीय निर्णय दिया है।

125- अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां के विद्वान अधिवक्ता तर्कों के दौरान यह नहीं दर्शा पाये हैं कि अपीलार्थी किस प्रकार, उसे साक्ष्य के लिये अवसर नहीं दिये जाने से प्रिज्युडिस हुआ है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309(2) का तृतीय परन्तुक यह विधिक प्रावधान लिये हुए है कि सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिये स्थगन नहीं किया जाएगा।

126- AIR 2001 Supreme Court 2231 Ramdev Chowhan Vs State of Asam नजीर में माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई के संबंध में निम्न प्रकार अवधारित किया है :

2- In all other cases the accused must be given sufficient opportunity of hearing on the question of sentence.

3- The normal rule is that after pronouncing the verdict of guilty the hearing should be made on the same day and the sentence shall also be pronounced on the same day.

3- In case where the Judge feels or if the accused demands more time for hearing on the question of sentence (especially) when the Judge propose to impose death penalty the proviso to section 309(2) is not a bar for affording such time.

127- माननीय उच्चतम न्यायालय का उपरोक्त प्रतिपादन अलाउदीन मियां में प्रतिपादित सिद्धान्त को अधिलंघित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउदीन मियां की नजीर प्रस्तुत करते समय अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के ध्यान में Ramdev Chowhan Vs State of Asam नजीर नहीं आई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केवल उन्हीं मामलों में, जहाँ न्यायालय यह महसूस करे कि सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिये अभियुक्त को अधिक समय दिया जाना चाहिए, केवल उन्हीं मामलों में अधिक समय दिया जा सकता है, अन्यथा सामान्तया जिस दिन दोषी ठहराया जावे, उसी दिन सजा के बारे में सुनकर आदेश पारित करना चाहिए एवं इस प्रकरण में भी विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सजा के बारे में भरपूर सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त उक्त दण्डादेश पारित किया है।

128- अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां के विद्वान अधिवक्ता ने (1982)1 Supreme Court Cases 438 Avtar Singh & Ors. Vs State of Madhya Pradesh नजीर का सहारा लेते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्त को सुनवाई के दौरान न्यायालय में बैठने का अधिकार है। केवल किसी विशेष प्रयोजनार्थ ही उसे सुनवाई के दौरान खड़ा रहने के लिये कहा जा सकता है। यह नजीर अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां के अधिवक्ता ने किस आशय से प्रस्तुत की है, स्पष्ट नहीं है। ऐसा कोई अभिवाक् नहीं है कि अपीलार्थी को प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उसकी प्रार्थना पर बैठने नहीं दिया गया हो।

129- अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां के विद्वान अधिवक्ता ने 1998 CRI.L.J 2500 M/S Sudharshan Vs State of A.P. नजीर का सहारा लेते हुए तर्क दिया है कि अपील की सुनवाई के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। यह नजीर भी अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां के विद्वान अधिवक्ता ने किस आशय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, कहीं तर्कों के दौरान स्पष्ट नहीं किया है। अतः इन दोनों नजीरों के संबंध में किसी प्रकार की कोई

अभिव्यक्ति किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

130- अभियुक्त-अपीलार्थी सलमान खां के विद्वान अधिवक्ता ने तर्कों के दौरान विचारण न्यायालय के 110 पृष्ठीय निर्णय को रिसर्च की थिसीस होना कहा है। इस संबंध में केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य, अभियोजन तर्कों, अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण के तर्कों पर पूर्ण मनन करने के पश्चात् विस्तृत रूप से उक्त निर्णय के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति की है। न्यायालय के समक्ष अन्वीक्षा होनेवाले मामले में तकनीकी रूप से न्यायालय को रिसर्च कर ही किसी निर्णय पर पहुंचना होता है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्ष्य में कुल 38 गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये थे एवं 105 दस्तावेजात प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित हुए तथा सात दस्तावेजात प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रदर्शित करवाये गये हैं। अभियोजन साक्षीगण से विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई है। समग्र मूल्यांकन के पश्चात् विचारण न्यायालय का 110 पृष्ठीय निर्णय विद्वान मजिस्ट्रेट की कड़ी मेहनत इंगित करता है।

:: आदेश ::

131- अतः अपीलार्थी-अभियुक्त सलमान खां की अपील सारहीन पाई जाने के कारण खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णीत दोषसिद्धी व दण्डादेश अन्तर्गत धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 सम्पुष्ट किया जाता है। अभियुक्त-अपीलार्थी गोरधनसिंह की अपील स्वीकार की जाती है और उसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 51 सपठित धारा 52 के तहत निर्दोष ठहराया जाता है।

132- अभियुक्त अपीलार्थी सलमान खां को विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 10-04-2006 के अनुसार कारावास व अर्थदण्ड का दण्डादेश भुगताया जावे।

अभियुक्त अपीलार्थी गोरधनसिंह के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(कमलराज सिंघवी)
सेशन न्यायाधीश, जोधपुर।

133- निर्णय आज दिनांक 24-08-2007 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमलराज सिंघवी)
सेशन न्यायाधीश, जोधपुर।